स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–2, माघ–फाल्गुन 2071, फरवरी 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

वास्तव में अमरीका समेत अन्य देशों की दवा कंपनियां यह चाहती हैं कि भारत में जैनरिक दवाईयां बनना बंद हों ताकि उनके लाभ बढ़ सके। उसके लिए वे चाहती हैं कि डाटा एक्सक्लूसिविटी का प्रावधान लागू हो जाए, जिसके अनुसार जैनरिक दवाई बनाने वालों को पूर्व पेटेंट धारक कंपनी के आंकड़ों और फार्मूलों को उपयोग करने की इजाजत न हो।

अ नु क्र म

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /2

आवरण कथा
अमरीकी बिजनेस, पेटेंट और भारत
– डॉ. अश्विनी महाजन /6
अमरीका समझौते पर सवाल
– ब्रह्मा चेलानी /8

अर्थव्यवस्था : विकास दर में बाधाएं
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /10

पड़ताल : जन धन योजना : सूक्ष्म प्रयास जो अर्थव्यवस्था में गेमचेंजर हो सकती है!
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /12

सामयिकी : हमारे गणतंत्र की अधूरी तस्वीरें
– अरविन्द जयतिलक /15

मुद्दा : कब तक खाने का तेल विदेश भरोसे!
– जयंतीलाल भंडारी /17

उपलब्धि : रक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम
– शशांक द्विवेदी /19

श्रमशक्ति : हुनरमंद भारतीयों पर निर्भर मेक इन इंडिया
– सतीश पेडणोकर /21

समस्या : कैंसर की गिरफ्त में उत्तर भारत
– निरंकार सिंह /24

सवाल : अपने ही देश में बेगानेपन का दंश
– प्रमोद भार्गव /27

अस्तित्व : भारतीय संस्कृति में महिला–पुरूष प्रतिद्वंद्वी नहीं – पूरक है
– मनोज भारत /29

पर्यावरण : जरूरत है जल चेतना जगाने की
– राजेन्द्र सिंह /31

चर्चा : वसूली का कारोबार नहीं – देश सेवा
– अक्षय जैन /35

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही है लूट–खसोट
– भारत डोगरा /36

पाठकनामा /4, समाचार परिक्रमा /32, रपट /38
आर.के. लक्ष्मण के कार्टून /37, मंच की गतिविधियाँ /38

पाठकनामा

बाल कलाकारों पर लगे रोक

एक ओर सरकार प्रचार करती है कि 14 साल तक के बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए तो दूसरी ओर आज कई चैलनों में बाल कलाकार काम कर रहे हैं। इन बाल कलाकारों को शूटिंग के दौरान काफी देर–देर तक काम करना पड़ता है। क्या यह श्रम के अंतर्गत नहीं आता। मेरे हिसाब से इन बाल कलाकारों को बाल श्रम कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। क्योंकि इन बाल कलाकारों को अभिनय करने का परिश्रम दिया जाता है एक तरफ से इसे भी बाल मजदूरी में देखा जाना चाहिए। वैसे सरकार के अनुसार 14 साल से नीचे कोई बच्चा किसी फैक्ट्री या किसी खतरनाक जगह में काम नहीं कर सकता। परन्तु इन बाल कलाकारों का बचपन अभिनय करते करते खो जाता है जिसे बाल श्रम में ही देखा जाना चाहिए।

सरकार को तुरंत 14 साल से नीचे सभी बाल कलाकारों को फिल्म और सीरियल में काम करने के लिए रोक लगानी चाहिए। अगर सरकार को सचमुच में बाल मजदूरी रोकनी है तो सभी बच्चों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।

राकेश पाण्डेय, गली नं. 9, करतार नगर, दिल्ली – 53

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

मोदी सरकार ने अपनी एक ओर महत्वाकांक्षी योजना 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का शुभारंभ पानीपत (हरियाणा) से शुरू किया। लेकिन क्या कभी लोगों ने यह विचार किया कि आखिर 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण है कि सामाजिक सोच की संकीर्णता और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैज्ञानिक यंत्रों के कारण कन्या भ्रूण हत्या का होना। आज देश के कई क्लीनिकों में चोरी छिपे अवैध रूप से लिंग का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लड़कियों के पैदा होने पर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसने लड़की को जन्म देकर पाप कर लिया हो। कुछ लोग कन्या भ्रूण की हत्या इसलिए करते हैं कि लड़की के विवाह के समय, दहेज देना पड़ेगा और कुछ वारिस के चक्कर में कन्या भ्रूण की हत्या करते है। आज जरूश्रत है कि अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि वे बालिकाओं को बोझ न समझें साथ ही सरकार को कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त कानून बनाना चाहिए तभी बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना सफल होगी। इसके अतिरिक्त लोग जागरूक हों। बेटियों को सबल, शिक्षित और आत्मनिर्भर होना आज के युग में काफी जरूरी है।

– मनोज कुमार, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित क र ।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

संघ सभी धर्मावलंबियों के लिए है। विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। पाश्चात्य देश एक भाषा, एक पंथ, एक देव की परिपाटी पर बढ़ने की बात करते हैं लेकिन भारत विश्व को एक होने का संदेश देता है।

– मोहन भागवत जी

सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

आज गरीबी दूर करना देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें अपनी आर्थिक विकास दर को ऊपर उठाना होगा। साथ ही विकास को गति देने, रोजगार पैदा करने और निवेश के मौके फिर से बनाने के लिए राज्यों को मतभेद भुलाने होंगे।

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

हमने नीतीश कुमार के सामने बड़ी लकीर खींच दी है और हम विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। अगर नाकाम हुए तो इस्तीफा दे दूँगा।

– जीतन राम मांझी

हम कठिन समय में चल रहे है जब हमारे बल्लेबाज चमकते हैं तो गेंदबाज नहीं चमकते और जब गेंदबाज अच्छा करते है तो बल्लेबाज असफल हो जाते हैं।

– एमएस धौनी

हमारी सरकार दिल्ली में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक के अपने फैसले पर कायम रहेगी।

– अरविन्द केजरीवाल

संपादकीय

कुछ सबक कुछ पहल बजट के लिए

केंद्रीय बजट के ठीक पहले दिल्ली चुनाव के परिणाम यह समझने के लिए काफी है कि जनता क्या चाहती है। तमाम राजनीतिक कारणों को ढूंढ़ने के साथ साथ आर्थिक कारणों पर भी सत्तारूढ़ पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, कि एक कल की जन्मी पार्टी पानी मुफ्त और बिजली सस्ती करने के नाम पर किस तरह जमी जमाइ पार्टियों को चुनाव में धूल चटा सकती है। देखने में बिजली पानी के मुद्दे बहुत छोटे लगते हैं। अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने का दावा करने वाले कुछ विशेषज्ञ यह दावा भी करते हैं कि दीर्घकाल में किसी भी सरकार के लिए मुफ्त सुविधाएं देना आसान नहीं है। खासतौर पर तब और जब सुविधाओं को जुटाने के लिए सरकार को एक भारी रकम चुकानी पड़ती है। स्पष्ट है सरकार एक मद का पैसा दूसरे मद में खर्च कर ही सुविधाओं को बिना या नाममात्र के शुल्क के साथ जारी रख सकती है। परंतु जनता इतनी गूढ़ बातों में नहीं जाना चाहती। आंकड़ों के भंवर में फंसने के बजाय आम मतदाता अपने लिए राहत चाहता है। चाहे यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही क्यों न हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि पिछले 15 सालों में जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। 15 साल ही क्यों 1991 में उदारीकरण के बाद से ही दो तिहाई आबादी विकास के दौर में लगातार पिछड़ती जा रही है। 24 साल के उदारीकरण के दौर में हमने पाया कम, गंवाया ज्यादा है। पूरी दुनिया के लिए और लगभग हर क्षेत्र में विदेशी निवेश को खोलने के बावजूद भारत सालाना अपने जीडीपी का मात्र एक फीसदी ही विदेशी निवेश प्राप्त करता है। जाहिर है हमारी आधी आबादी के लिए अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ रोजी और रोटी है। दिल्ली भी एक लघु भारत ही है। अगर यहां पानी और बिजली के नाम पर 56 फीसदी लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट दिया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कुछ फीसदी लोगों को ही दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का सपना अच्छा लगा और उन्होंने इस सपने को अपनाने के लिए मत दिया भी। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। यही हालात पूरे देश के हैं। लोग ऊंची ईमारतों का सपना तो देखते हैं। चिकनी और चौड़ी सड़कों पर चलना चाहते हैं। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सराहते हैं पर भूख शांत होने के बाद। बच्चों को ठीक ठाक पालन पोषन करने के बाद। केंद्र की सरकार भी यह जानती है। भाषणों और मुद्दों में इन्हें गिनाती भी है। इन्हें दूर करने के उपायों पर लगातार काम करने का दावा भी करती है। यह भी सच है कि जनता को राहत बाहरी कारणों से ज्यादा मिली है सरकार की नीतियों के कारण कम। मसलन खुद प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि उनके भाग्य से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। अब समय है कि बजट में सरकार अपनी प्रभुता और संवेदनशीलता का परिचय दे। आय व्यय के लेखा जोखा की औपचारिकता के साथ साथ देश का भविष्य संवारने वाले प्रावधानों को बजट में शामिल किया जाए। बजट की पहली प्राथमिकता रोजगार के अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। कॉरपोरेट को लाभ दिलाने वाले प्रावधान के जरिए यदि रोजगार बढ़ाने का पहले जैसे ही प्रावधान किए गए तो स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ेगी। छोटे उद्योगों और एकल उद्यमियों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि उन्हें इसी बजट से राहत महसूस हो। 'मेक इन इंडिया' का कार्यक्रम तो अच्छा है परंतु उसमें विदेशी निवेश पर जोर नहीं होना चाहिए। केंद्र को यह तय करना चाहिए कि आतंरिक स्रोतों से कैसे पूंजी का प्रवाह भारतीय बाजार में बढ़ाया जाए। विदेशी निवेश का इंतजार या उस पर निर्भरता कठिनाइयों को और बढ़ाएगा। लोगों को तत्काल राहत चाहिए। दीर्घकालीन उपायों से देश की वित्तीय सेहत ठीक करने से पहले जरूरी है कि कुछ उपाय तत्काल किए जाएं। बाजार में तरलता का भारी संकट है और यह बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही दूर हो सकता है। हालांकि हमारे बैंक भी जबर्दस्त दबाव में हैं। सभी बैंकों की एकमुश्त एनपीए की बात करें तो उनमें लगभग 5 फीसदी उधार डूब चुके हैं। बैंकों को अपनी सेहत ठीक करने के लिए लगभग दो खरब रुपयों की जरूरत पड़ेगी। फिर भी केंद्र सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रिजर्व बैंक ब्याज दर में कमी कर बाजार को वित्तीय सुविधा प्रदान करें। कुछ कम शब्दों में यदि कहे तो वर्ष 2015–16 का बजट देशी सोच, घरेलू परिस्थितियों और स्थानीय पूंजी व साधनों को ध्यान में रख कर बने। वरना जीडीपी तो बढ़ सकती है, लेकिन देश की जनता का कोई भला नहीं होगा।

अमरीकी बिजनेस, पेटेंट और भारत

वास्तव में अमरीका समेत अन्य देशों की दवा कंपनियां यह चाहती हैं कि भारत में जैनरिक दवाईयां बनना बंद हों ताकि उनके लाभ बढ़ सके। उसके लिए वे चाहती हैं कि डाटा एक्सक्लूसिविटी का प्रावधान लागू हो जाए, जिसके अनुसार जैनरिक दवाई बनाने वालों को पूर्व पेटेंट धारक कंपनी के आंकड़ों और फार्मूलों को उपयोग करने की इजाजत न हो। यही नहीं वे यह भी चाहती हैं कि 'पेटेंट लिंकेज' का भी प्रावधान लागू हो, ताकि किसी भी हालत में भारतीय कंपनियों को पेटेंटीकृत दवाईयों को बेचने का भी अधिकार न मिले।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि के नाते भारत में आये अमरीकी राष्ट्रपति के भारत आगमन पर सत्ता पक्ष फूले नहीं समा रहा। भारत की तरक्की को अमरीका के साथ सुधरते रिश्तों के आलोक में भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बिजनेस वर्ग का एक बड़ा काफिला भी आया था। यह सही है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ बिजनेस आपसी सहकार और सहयोग के साथ ही हो सकता है और इसलिए किन्हीं दो मुल्कों में बिजनेस बढ़ाने के लिए उन मुल्कों की सरकारें मिल बैठ कर व्यापार–व्यवसाय–निवेश के रास्ते में आने वाली कठिनाईयों को दूर करें तो बेहतर होगा। यदि इतना ही हो तो वह स्वागत योग्य है। लेकिन बात उससे कुछ आगे बढ़कर है।

पेटेंट पर चर्चा

अमरीकी राष्ट्रपति के आने से कहीं पहले इस बाबत चर्चा शुरू हो गई थी कि अमरीकी दवा कंपनियों के हित साधन के लिए अमरीकी प्रशासन भारत सरकार पर दबाव बना रहा है कि उनके हितों के आड़े आने वाले भारत के पेटेंट कानूनों और प्रावधानों में बदलाव किया जाये। सत्तासीन होने के बाद प्रधानमंत्री जब अमरीका की यात्रा पर गये तो भी यह विषय जोर शोर से आया था।

प्रधानमंत्री की अमरीकी यात्रा के दौरान बौद्धिक संपदा पर एक उच्च स्तरीय वर्किंग ग्रुप बनाना तय किया गया, जो निवेश में बाधा उत्पन्न करने वाले विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने हेतु नई खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए नेताओं ने एक वार्षिक उच्च स्तरीय बौद्धिक संपदा वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए प्रतिबद्धता दी है, जो 'व्यापार नीति फोरम' के हिस्से के नाते उपयुक्त निर्णय एवं तकनीकी स्तर की बैठकें करेगा। इस वर्किंग ग्रुप के निर्माण की पृष्ठभूमि यह है कि अमरीकी कंपनियों की शिकायत है कि भारत के पेटेंट कानून उनके हितों के खिलाफ हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। भारत का हमेशा से यह कहना है कि हमारे बौद्धिक संपदा कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हैं।

इस वर्किंग ग्रुप के गठन के बाद,

अमरीका समेत विभिन्न देशों की दवा कंपनियां भारतीय पेटेंट कानून में से धारा 3–डी को हटवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। यानि भारत और अमरीकी कंपनियों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा धारा 3–डी को लेकर है। हमें ध्यान रखना होगा कि धारा 3–डी को रखने या हटाने का मुद्दा देश के जनस्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां अपने पुराने पेटेंटों के नवीकरण की जुगाढ़ में लगी है।

अमरीकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और अमरीकी कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा ''बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भारत–अमरीकी संयुक्त समूह की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए भारत तैयार है।'' यहां सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से विवादास्पद मुद्दे हैं, जिनका समाधान अमरीकी कंपनियां मांग रही हैं। उस पर विशेष प्रश्न यह है कि क्या वह समाधान भारत की अधिसंख्यक जनता के हितों के अनुरूप है या नहीं?

अमरीकी बिजनेस के मुद्दे और पेटेंट कानून

मोटे तौर पर दो प्रकार के पेटेंट संबंधित मुद्दों पर अमरीकी कंपनियों द्वारा विवाद खड़ा किया जाता रहा है। उसमें पहला है, पुनर्पेटेंटिकरण का मुद्दा। भारतीय पेटेंट कार्यालय अमरीकी कंपनियों के कई पेटेंट दावों को मानने से इंकार कर चुका है। इन सभी अस्वीकृत दावों में एक समानता है कि वे पूर्व में प्रचलित दवाओं के प्रतिरूप पेटेंटों के दावे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में स्विटजरलैंड की एक दवा कंपनी नॉवरेतिस और भारत सरकार के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उस कंपनी के उस दावे को खारिज कर दिया गया, जिसमें वह ब्लड कैंसर की एक दवाई 'ग्लीवैक' के पुनर्पेटेंटिकरण की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारत सरकार के उस तर्क को मान्य किया गया कि कंपनी ने किसी नए रसायन की उत्पत्ति कर इस दवाई को नहीं बनाया, बल्कि अपनी पुरानी दवाई में ही कुछ परिवर्तन किए हैं। भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3–डी के के अंतर्गत, पेटेंटीकरण के ऐसी किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी पुरानी दवाई में ही कोई फेर–बदल किया गया हो या उसके नए उपयोग का हवाला दिया गया हो।

जनस्वास्थ्य बनाम बिजनेस

इस कानूनी लड़ाई को हारने के बाद अब अमरीका समेत विभिन्न देशों की दवा कंपनियां भारतीय पेटेंट कानून में से धारा 3–डी को हटवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। यानि भारत और अमरीकी कंपनियों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा धारा 3–डी को लेकर है। हमें ध्यान रखना होगा कि धारा 3–डी को रखने या हटाने का मुद्दा देश के जनस्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां अपने पुराने पेटेंटों के नवीकरण की जुगाढ़ में लगी है। यदि धारा 3–डी में कुछ फेर–बदल किया जाता है तो उसका असर यह होगा कि कैंसर समेत कई बीमारियों की दवाईयों की कीमतें कई गुणा बढ़ सकती हैं, यानि पेटेंट संबंधी इस विवाद का फैसला यदि अमरीकी कंपनियों के हित में होता है, तो करोड़ों भारतवासियों की स्वास्थ्य रक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा।

भारतीय पेटेंट कानून के एक अन्य प्रावधान, जिसपर विदेशी कंपनियां विवाद खड़ा करती है, वह है अनिवार्य लाईसेंसिंग का प्रावधान। भारतीय पेटेंट कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी द्वारा पेटेंटीकृत दवा को बनाना चाहती है तो पेटेंटधारक कंपनी को बिना उसकी अनुमति के भी उचित मुआवजे के आधार पर दूसरी कंपनी को उस दवा को बनाने का अधिकार दिया जा सकता है।

इस प्रावधान के अनुसार पहला अनिवार्य लाइसेंस मार्च 2012 में भारतीय दवा कंपनी नॉटको को दिया गया, जिसके अनुसार कंपनी को 6 प्रतिशत रायल्टी की शर्त पर 'नेक्सॉवर' नामक कैंसर की जेनेरिक दवाई बनाने और विपणन का अधिकार दिया गया। भारतीय पेटेंट कार्यालय के इस आदेश को विदेशी कंपनी, जिसके पास उसका पेटेंट था, ने चुनौती दी, जिसे 2014 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह अनिवार्य लाइसेंसिंग का पहला मामला था।

यह प्रावधान पेटेंट कानून में इसलिए रखा गया था, ताकि पेटेंटीकृत दवाई आम जनता को उचित मूल्य पर मिल सके। अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान, भारत की जन–स्वास्थय रक्षा ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के स्वास्थय की रक्षा का एक बड़ा हथियार है। लेकिन भारतीय पेटेंट कानून का यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों की आंखों में खटक रहा है और वे अमरीकी सरकार के माध्यम से भारत सरकार पर यह दबाव बना रही हैं कि इस प्रावधान को समाप्त किए जाए, ताकि पेटेंट कार्यालय अनिवार्य पेटेंट न दे सके।

वास्तव में अमरीका समेत अन्य देशों की दवा कंपनियां यह चाहती हैं कि भारत में जैनरिक दवाईयां बनना बंद हों ताकि उनके लाभ बढ़ सके। उसके लिए वे चाहती हैं कि डाटा एक्सक्लूसिविटी का प्रावधान लागू हो जाए, जिसके अनुसार जैनरिक दवाई बनाने वालों को पूर्व पेटेंट धारक कंपनी के आंकड़ों और फार्मूलों को उपयोग करने की इजाजत न हो। यही नहीं वे यह भी चाहती हैं कि 'पेटेंट लिंकेज' का भी प्रावधान लागू हो, ताकि किसी भी हालत में भारतीय कंपनियों को पेटेंटीकृत दवाईयों को बेचने का भी अधिकार न मिले। अभी तक इसी पेटेंट आवेदन को पेटेंट मिलने से पहले भी चुनौती दी जा सकती है। विदेशी कंपनियां यह चाहती है कि पेटेंट पूर्व विरोध का प्रावधान समाप्त हो जाए। देश के जन–स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार अमरीका के किसी दबाव में न आए और भारतीय पेटेंट कानूनों, जो विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुरूप हैं, में जनस्वास्थ्य के विरूद्ध कोई फेर–बदल स्वीकार न करें। ❑

अमरीकी समझौते पर सवाल

ओबामा की यात्रा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर सिर्फ परमाणु समझौते को ही महत्वपूर्ण दर्शाया गया। यह समझौता जब अंतिम रूप में सामने आया तो अमेरिका अपनी राष्ट्रीय नीतियों के लिहाज से ही सहमत हुआ और बहुपक्षीय दृष्टि से लाभप्रद होने पर ही भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा करार सहयोग के लिए तैयार हुआ।

■ ब्रह्मा चेलानी

करीब दशक भर तक नागरिक परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का मुख्य केंद्रबिंदु बना रहा। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लेन–देन को लेकर तकरीबन सभी द्विपक्षीय बैठकें चर्चा का विषय बनीं। आखिर ऐसा क्यों है कि आयात किए जाने वाले परमाणु रिएक्टर आर्थिक दृष्टि से महंगा ऊर्जा स्रोत होने के कारण भारतीय हितों के लिए बहुत अनुकूल नहीं होने पर भी इस समझौते के पैरोकार इसका समर्थन कर रहे हैं और धोखाधड़ी वाली मोहक बातें कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस समझौते के होने से भारत के खिलाफ जारी परमाणु भेदभाव खत्म होगा और भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत में उच्चस्तरीय जगह हासिल होगी।

हालांकि सच्चाई यही है कि कुछ व्यावसायिक रिएक्टर ही पश्चिमी देशों में निर्माणाधीन हैं और यहां तक कि फ्रांस का भी परमाणु ऊर्जा से मोहभंग हो रहा है। ऐसे में यह विचित्र है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर इस समझौते को अमल में लाने के लिए क्यों इतना अधिक जोर देती रही है? अमेरिका ने भारत की इस कमजोरी को भांपते हुए ही इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नई दिल्ली के साथ समझौते के लिए सहूलियतें लीं।

वास्तव में 2005 में हुए मूल समझौते का ही नतीजा है कि हमें कई समझौते करने पड़े। इस क्रम में होने वाले समझौतों को भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश किया गया और उसकी

प्रशंसा हुई बावजूद इसके कि इसके लिए देश पर नई बाध्यताएं अथवा शर्तें थोपी गईं। हाल के महीनों में यही दिखाया–बताया गया कि प्राथमिकता के तौर पर भारत ने जापान और आस्ट्रेलिया के साथ परमाणु समझौते करने में कामयाबी हासिल की है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के तत्काल बाद ही विदेश मंत्रालय ने टोक्यो को सूचित किया कि मोदी की जापान यात्रा के दौरान परमाणु समझौते का मुद्दा अवश्य ही मुख्य बिंदु होना चाहिए। हालांकि अज्ञात वजहों से कई सप्ताह मोदी द्वारा जापान की अपनी यात्रा टाले जाने के बाद भी जापान के साथ यह समझौता आकार ले पाने में विफल रहा। भारत की तुलना में अमेरिका ने कभी भी मुख्य रूप से परमाणु करार को ऊर्जा तक सीमित नहीं रखा। यह तब है जब वेस्टिंगहाउस और जीई–हिताची जैसी कंपनियों को आकर्षक परमाणु रिएक्टर समझौते को लेकर अपेक्षाएं थीं।

अमेरिका के लिए यह समझौता शुरुआत से ही रणनीतिक लाभ का माध्यम था, जिसका उद्देश्य भारत को अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा खरीदार बनाना था। इस संदर्भ में वह अपने पहले लक्ष्य को हासिल करने में पहले ही सफल हो चुका था और अब वह दूसरे लक्ष्य पर काम कर रहा है।

अमेरिका के लिए रूस को भारत

का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बनने से रोकना एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। अपने दशक भर के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसी भी एक अन्य मुद्दे के बजाय अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर सर्वाधिक राजनीतिक पूंजी का निवेश किया। मनमोहन सिंह की तरह ही मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें विदेश नीति का कम ही अनुभव था। इस वजह से समझौते को अंतिम रूप देने वालों ने उन्हें एक नए व्यक्ति के तौर पर लिया गया जिसे वे दिखावटी नारे बेच सकते थे।

जब मोदी और ओबामा ने अपनी–अपनी तरफ से यह घोषणा की कि नागरिक परमाणु करार दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया मोड़ देने के लिए केंद्रीय बिंदु होगा तो यह सहज ही समझ में आ गया कि करार के पैरोकार जो चाह रहे थे वह हो गया। मोदी ने अतीत के संदर्भ में एक और बात कही और वह यह कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पूर्ववर्ती सरकार के समय में प्रगाढ़ हुए थे, जिसे अब अंतिम रूप दिया गया है। यदि आगे देखें तो प्रश्न यही है कि क्या मोदी भी मनमोहन सिंह की गलतियां दोहराएंगे और इस समझौते को लेकर एक बड़ी राजनीतिक पूंजी का निवेश करेंगे? निश्चित ही अमेरिका के साथ हमें एक वास्तविक सामरिक भागीदारी कायम करनी होगी, लेकिन भारत को अपने क्षेत्रीय हितों को शीर्ष प्राथमिकता देनी होगी।

यहां एक खतरा यह भी है कि मनमोहन सिंह की तरह मोदी भी भारत के मुख्य हितों की कीमत पर इस समझौते को लेकर अतिरिक्त ध्यान बरतें। इन हितों में संतुलित रूप में द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा बनाना, एकतरफा रूप से बढ़ने वाले रक्षा संबंधों में समन्वय कायम करना, अमेरिका से भारतीय दवा क्षेत्र और सूचना तकनीक के निर्यातकों के लिए छूट हासिल करना और बाधाओं को खत्म करना है। इसके साथ ही वाशिंगटन को इसके लिए तैयार करना होगा कि वह उदारतापूर्वक दी जाने वाली मदद को रोक करके पाकिस्तानी सेना पर भारत में आतंकवाद का निर्यात रोकने के लिए दबाव डाले।

ओबामा ने अपने विदेश मंत्री की तरह ही मोदी से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान के साथ वार्ता को बहाल करें। इसके अतिरिक्त अपने बजट में भी ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की राशि वित्तीय मदद के तौर पर देने की घोषणा की है। भारत–अमेरिका के बीच सहभागिता को और मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस काम करने की आवश्यकता है। परमाणु करार पर अतिरिक्त निवेश अथवा ध्यान दिए जाने का मतलब होगा कि यह मुद्दा भविष्य में भी सभी द्विपक्षीय बैठकों में अधिक हावी रहेगा, जैसा कि पूर्व में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में था। यह अमेरिका के लिए भले ही अधिक उपयुक्त हो लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण अन्य बातों पर से ध्यान भटकेगा।

अमेरिका के साथ हुए करार के बाद अब यही प्रतीत हो रहा है कि इस उपलब्धि को वास्तविकता से कहीं अधिक महत्व दिया गया। इस मामले में यदि कोई उपलब्धि हासिल हुई है तो उत्तरदायित्व मुद्दे पर भारत को मिली कामयाबी और परमाणु सामग्रियों पर निगरानी से अमेरिका का पीछे हटना है। भारत सरकार उत्तरदायित्व को निजी कंपनियों के बजाय भारतीय करदाताओं पर हस्तांतरित करने पर सहमत हुई। इसी तरह आइएईए के साथ आंकड़ों की सूचनाएं साझा की जाएंगी तथा जवाबदेही तंत्र की स्थापना होगी।

यहां इस बात को प्रचारित किया गया कि अमेरिका ने अपनी मुख्य मांगों को छोड़ दिया है। स्पष्ट है कि समझौते की उपलब्धि पर बढ़–चढ़कर प्रचार किया गया। ओबामा की यात्रा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर सिर्फ परमाणु समझौते को ही महत्वपूर्ण दर्शाया गया। यह समझौता जब अंतिम रूप में सामने आया तो अमेरिका अपनी राष्ट्रीय नीतियों के लिहाज से ही सहमत हुआ और बहुपक्षीय दृष्टि से लाभप्रद होने पर ही भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा करार सहयोग के लिए तैयार हुआ।

भारत–अमेरिका के बीच हुए इस व्यापारिक समझौते में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यही कि भारत को उच्च कीमत वाले रिएक्टरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो निश्चित ही मेक इन इंडिया के उद्देश्य की पूर्ति के बजाय डंप इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करेगी। ❑

अमेरिका के साथ हुए करार के बाद अब यही प्रतीत हो रहा है कि इस उपलब्धि को वास्तविकता से कहीं अधिक महत्व दिया गया। इस मामले में यदि कोई उपलब्धि हासिल हुई है तो उत्तरदायित्व मुद्दे पर भारत को मिली कामयाबी और परमाणु सामग्रियों पर निगरानी से अमेरिका का पीछे हटना है।

विकास दर में बाधाएं

राश्ट्रपति ओबामा के साथ परमाणु उर्जा तथा पारस्परिक व्यवहार बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये कदम सही दिशा में है। लेकिन अमरीका के साथ बुनियादी प्रश्न अभी भी खड़े हैं जैसे पेटेंट कानून में ढील देना, भारतीय श्रमिकों के लिये अमरीका में प्रवेश सरल बनाना, संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्यता देना आदि। इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

राश्ट्रपति ओबामा की यात्रा से बाजारी में उत्साह का वातावरण बना है। सरकार तथा उद्यमियों को आशा है कि हमारे निर्यातों के लिये अमरीकी बाजार खुलेगा और हमें बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश मिलेगा। सेन्सेक्स ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है। ऐसा ही अनुमान विकसित देशों के संगठन ओईसीडी ने लगाया गया था। कुछ माह पूर्व इन्होंने हमारी विकास दर 5.7 प्रतिशत रहने अनुमान लगाया था। हाल में इसे 6.6 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन साथ–साथ कहा है कि बुनियादी सुधारों के अभाव में विकास दर आठ प्रतिशत से उपर नहीं जा सकेगी। फिच नामक अंतर्राश्ट्रीय रेटिंग ऐजेन्सी ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बुनियदी सुधारों की गति धीमी है। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक ने कहा है कि तीस वर्शों के बाद अकेले बहुमत प्राप्त करने के बावजूद मोदी सरकार ने बड़े सुधारों को नहीं बढ़ाया है। अंर्तराश्ट्रीय विश्लेशकों में सहमति है कि बुनियादी सुधारों को आगे करने की जरूरत है। अतः एक क्षण ठहर कर बुनियादी प्रश्नों पर विचार करना चाहिये।

वर्तमान में दिख रहा सुधार बेहतर कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुआ है। सरकार त्वरित निर्णय ले रही है। दो दशकों से लटके हुये तोप की खरीद के निर्णय को नये रक्षा मंत्री ने कार्यभार सम्भालने के दो सप्ताह मे ही ले लिया था। इसी प्रकार के निर्णय ईरान से तेल के आयात करने के सम्बन्ध में लिये गये

हैं। साथ–साथ भ्रश्टाचार में भी कमी आयी दिखती है। दिल्ली के एक प्रापर्टी डीलर ने बताया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रापर्टी बाजार में नम्बर दो का पैसा आना कम हो गया है। ये कदम सही दिशा में है परन्तु इनसे हम बहुत आगे नहीं जा सकेंगे।

हम पांच से बढ़कर छह या सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेंगे लेकिन इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। जनता की अपेक्षायें पूरी नहीं होंगी। इस समय सरकार के साथ देश की जनता खड़ी है।

कार्यान्वयन और बुनियादी सुधारों के अन्तर को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। चूल्हे पर चौड़े पेंदे का बर्तन चढ़ायें तो गैस बचेगी। यह कार्यान्वयन हुआ। इससे गैस की बचत की सीमा है। यदि गैस के स्थान पर माइक्रोवेव या इंडक्शन चूल्हा लगायें तो बुनियादी सुधार हुआ। आगे बचत करनी हो तो उपकरण को ही बदलना होगा। अथवा कोई कर्मी अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता है। कार पूल बनाकर चार कर्मियों के साथ जाये तो यह कार्यान्वयन में सुधार हुआ। गाड़ी के स्थान पर मेट्रो से जाने लगे तो बुनियादी सुधार हुआ।

मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में

कार्यान्वयन में सुधार किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिये बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू करने का प्रयास किया है। कर्मियों की छुट्टी की संख्या कम की जा सकती है अथवा कार्य के घंटे बढ़ाये जा सकते हैं अथवा सरकारी कर्मियों को झाड़ू लगाने को प्रेरित किया जा सकता है। यह कार्यान्वयन में सुधार हुआ। कर्मी आफिस आया और उसने बजट को खर्च किया यह सुनिश्चित हुआ। बुनियादी सुधार होता यदि हर विभाग के कार्यों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा इसका आकलन किया जाता, सरकारी कर्मियों की कार्यकुशलता का स्वतंत्र आडिट कराया जाता है और अकुशलतम एक प्रतिशत कर्मियों को प्रत्येक वर्श पद से बर्खास्त किया जाता तब सरकारी कर्मियों की कार्यप्रणाली में मौलिक सुधार होता। मसलन सरकारी अध्यापक की अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से होने के कारण वह स्कूल में उपस्थित हुआ यह सुनिश्चित हुआ। परन्तु वह कक्षा में बैठकर स्टाक एक्सचेंज में सट्टेबाजी करे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं सुधरेगी। बुनियादी सुधार होता यदि अध्यापक के वेतन को छात्रों के रिजल्ट से जोड़ा जाता।

मोदी सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 5.6 डालर प्रति बीटीयू निर्धारित किये हैं। यूपीए सरकार ने इसे 8.4 डालर पर निर्धारित करने का मन बनाया था। गैस के दाम में कम वृद्धि करना कार्यान्वयन में सुधार हुआ। इसी प्रकार ईरान से तेल के आयात को बढ़ाया है। ईरान का तेल हमें सस्ता पड़ता है। यह भी कार्यान्वयन में सुधार हुआ चूंकि ईंधन तेल पर हमारी निर्भरता बनी रहती है। तुलना में देश में उर्जा–सघन उद्योगों पर टैक्स लगाकर इन्हें छोटा करना; तथा उर्जा की खपत कम करने वाले उद्योगों को टैक्स में छूट देकर बड़ा करना बुनियादी सुधार होता। तब हमारी उर्जा की खपत कम होती और हम आयातों पर निर्भरता से मुक्त होते।

देश में पानी का संकट गहरा रहा है। भूमिगत जलस्तर निरन्तर गिर रहा है। ऐसे में किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाने को प्रेरित करने से मूल समस्या का निदान नहीं होता है। ड्रिप के माध्यम से किसान खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है अथवा गेहूं के स्थान पर गन्ने की खेती करता है। इसके स्थान पर पानी का मूल्य वसूल करने से किसान द्वारा पानी का उपयोग कम करता और पानी की समस्या स्वतः समाप्त हो जाती। अथवा किसानों फ्री या सस्ती बिजली देना बंद करने से कृशि में उर्जा की खपत कम होती। यह बुनियादी सुधार होता।

किसान के नाम पर भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों पर सब्सीडी दी जा रही है। खाद्य सब्सीडी का उपयोग मुख्यतः फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के भ्रश्टाचार एवं अकुशलता को पोशित करने में होता है। इस सब्सीडी को टार्गेट करने का सरकार प्रयास कर रही है जैसे राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने से कार्यान्वयन में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु सरकार द्वारा सब्सीडी देने का क्रम जारी रहेगा। किसान को बिजली, पानी तथा खरीद में सब्सीडी देने के स्थान पर यदि खद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि की जाये तो यह जंगल स्वतः समाप्त हो जाता। यह बुनियादी सुधार होता।

प्रतिवर्श लगभग एक करोड़ युवा भारत के श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जबकि संगठित क्षेत्र में केवल पांच लाख रोजगार प्रतिवर्श बन रहे हैं। भोश 95 लाख युवा सब्ज़ी बेचकर या छोटा–मोटा काम कर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में एम्पलायमेंट एक्सचेंज को कुशल बनाना अथवा नौकरियों का पोर्टल खोलना कार्यान्वयन में सुधार है। उपलब्ध पांच लाख नौकरियें को भीघ्र भरा जा सकेगा। लेकिन बेरोजगारी की समस्या पूर्ववत् बनी रहेगी। तुलना में यदि उद्यमियों को रोजगार सब्सीडी दी जाये अथवा रोजगार सघन उद्योग जैसे पापड़ बनाने अथवा दूध उत्पादन को सब्सिडी दी जाये अथवा जादा संख्या में रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्योगों को श्रम कानूनों से मुक्त कर दिया जाये तो भारी संख्या में रोजगार बनेंगे। यह बुनियादी सुधार होता।

राश्ट्रपति ओबामा के साथ परमाणु उर्जा तथा पारस्परिक व्यवहार बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये कदम सही दिशा में है। लेकिन अमरीका के साथ बुनियादी प्रश्न अभी भी खड़े हैं जैसे पेटेंट कानून में ढील देना, भारतीय श्रमिकों के लिये अमरीका में प्रवेश सरल बनाना, संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्यता देना आदि। इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन के सार्थक कदम उठाये जा रहे हैं। इन कदमों की बदौलत विकास दर में लगभग एक प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इन कदमों का स्वागत है। परन्तु इन कदमों से अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हम पांच से बढ़कर छह या सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेंगे लेकिन इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। जनता की अपेक्षायें पूरी नहीं होंगी। इस समय सरकार के साथ देश की जनता खड़ी है। मोदी सरकार को बुनियादी सुधारों को लागू करना चाहिये जिससे अर्थव्यवस्था 12–13 प्रतिशत की गति से आगे बढ़े। इस सुनहरे अवसर को नहीं गंवाना चाहिये। ❑

जन धन योजनाः
सूक्ष्म प्रयास जो अर्थव्यवस्था में गेमचेंजर हो सकती है!

अभी यह योजना अलाभकारी दिखाई दे रही है जिस प्रकार खेत को तैयार करके एक बीज बो दिया जाता है और बीज से अंकुर फुटने में कुछ समय तो लगता ही है। उसी प्रकार इस योजना को कारगर होने में कुछ समय लग सकता है। इस योजना का एक सुखद परिणाम जनता के सामाने आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह सूक्ष्म प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेमचेंजर के रूप में सामने आ सकेगा ऐसी आशा करनी चाहिए।

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्रचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा घोषित राजग सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में अगस्त 2014 से प्रारम्भ होकर 26 जनवरी 2015 महीने तक 7.50 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य बनाया था परन्तु एक सप्ताह पहले अर्थात् 17 जनवरी 2015 तक देश में 11.50 करोड़ सेविंग बैंक खाते खोले जा चुके थे। इसलिए इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। यह भारत देश के लिए एक गर्व की बात है तथा भारतीयों के द्वारा किया गया यह अद्वितीय प्रयास था जो उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए किया। 9.50 करोड़ सेविंग खाते हालाँकि जीरो बैंलेंस पर खोले गये तथा इन खातों का अभी तक नियमों के स्पष्ट न होने के कारण परिचालन ढंग से नहीं हो पाया है। सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़ कर इस योजना में सहयोग किया वहीं वे अपने पुराने ग्राहकों को यह बताने में असफल ही रहे कि उनके पुराने खातों को भी इस योजना में जोड़ा जा सकता है।

खातेदारों में भी भ्रम था कि सरकारी सुविधाएं लेने के लिए ही इन खातों का खोला जाना जरुरी है। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों के पास अनावश्यक बोझ बढ़ गया। इन खातों को अधिकांशतः महिलाओं (51 प्रतिशत) ने खुलवाया है वहीं शहरों (40 प्रतिशत) की अपेक्षा गांवों (60 प्रतिशत) में इस योजना के तहत बैंक खाते खोले गये। 23 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2014 के दौरान एक सप्ताह में ही 1.80 करोड बैंक खाते खोले गये। इसके अंतर्गत देश के 25 करोड़ परिवारों में से 21.8 करोड परिवारों का बैंकों ने सर्वे किया। अब इसमें से 99.74 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक सुविधा पंहुच गई है। अधिकांश राज्यों में शत प्रतिशत परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके है। माओवादी–नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक कर्मचारी नहीं पंहुच सके सो वहाँ बैंक खाते अधिक नहीं खुल सके। 17 जनवरी 2015 तक 11.50 करोड़ खातों में 9,188 करोड़ रुपये जमा हो पाये थे तथा 28 प्रतिशत खाते ही ढंग से संचालित हो रहे है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली के द्वारा कहा गया कि यह योजना देश के लिए गेमचेंजर साबित होगी क्योंकि यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक आधार बनेगी और फर्जी नामों पर हो रहे सब्सिडी के बंटबारे पर प्रभावपूर्ण रोक लगाने में सफल हो सकेगी अर्थात् समय समय पर घोषित सरकारी योजनाओं में नित्य होने वाली भ्रष्टाचारी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी।

इन बैंक खातों की सहायता से सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो सकेगा तथा सरकारी स्कीमों को सीधे आम जनता तक पंहुचाने का रास्ता भी खुल सकेगा। खातों के माध्यम से आम जनता तक रकम पंहुचने पर बाजार में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा घोषित राजग सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में अगस्त 2014 से प्रारम्भ होकर 26 जनवरी 2015 महीने तक 7.50 करोड बैंक खाते खोलने का लक्ष्य बनाया था परन्तु एक सप्ताह पहले अर्थात 17 जनवरी 2015 तक देश में 11.50 करोड़ सेविंग बैंक खाते खोले जा चुके थे। इसलिए इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। यह भारत देश के लिए एक गर्व की बात है।

वस्तुओं की मांग बढ सकेगी। यह रकम अब तक भ्रष्टाचार के माध्यम से भ्रष्टचारी की तिजोरी ही भरती रही है। अनुमान है कि वर्ष 2015–16 में सरकार इन बैंक खातों के माध्यम से 66,000 करोड़ रुपयों को वितरीत करेगी। मनरेगा के 33,000 करोड रुपये, एलपीजी सब्सिडी के 18,000 करोड रुपये तथा पैंशन व छात्रवृति के 15,000 करोड़ रुपये अर्थात कुल मिला कर 66,000 करोड रुपये इन 11.50 करोड खातों मे जमा होगा। 8.03 करोड़ एलपीजी ग्राहकों के खातों में रुपया जमा होना शुरु भी हो गया है तथा आगामी तीन महीनों तक शेष बचे 7.50 करोड अन्य ग्राहकों के बैंक खातों में भी सब्सिडी की राशी पहुँचेगी अर्थात इस वर्ष 17,777 करोड़ रुपये की राशि जन धन योजना में खुले खातों में जमा हो सकेगी। मनरेगा के 10 करोड़ श्रमिकों के खातों में 33,000 करोड रुपये पहुंचेंगें। 9,690 करोड रुपये पैंशन व 5,756 करोड रुपये छात्रवृति की मद में विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकेगें। देश की अर्थव्यवस्था और विशेष रुप से बाजार में 66,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी रकम पहुँचने की आशा की जा रही है जिससे आम आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बढने की बहुत उम्मीद की जा रही है।

यह सब स्थिति तो भविष्य में अर्थात अप्रैल 2015 से मार्च 2016 वित्तीय वर्ष में दिखायी दे सकती है परन्तु अभी (17 जनवरी 2015) तक 11.50 करोड़ खातों में से अधिकतर खातों में धन जमा नहीं किया गया। अब वित्त मंत्रालय इन खातों को ढंग से संचालित करने के उपाय कर रहा है। इन खातों को संचालित करना वित्त मंत्रालय के लिए एक गंभीर चुनौती है। वित्त मंत्रालय का यह मानना है कि सरकारी प्रत्यक्ष लाभ (सब्सिडी) के ट्रांसफर से ही इन खातों में रकम जमा हो सकेगी।

निजी क्षेत्र के बैंक के 36 प्रतिशत खातों में धन जमा हुआ है व सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 29 प्रतिशत खातों में धन जमा हो पाया है और दोनों क्षेत्रों के बैंकों में कुल मिला कर 9,188 करोड़ रुपये ही जमा हो सके है। निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के 11 प्रतिशत, कोटक महेन्द्रा बैंक में 23 प्रतिशत, ऐक्सिस बैंक के 25 प्रतिशत खातों में ही धन जमा हुआ है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के मात्र 5 प्रतिशत और इंडियन ओवरसीज बैंक के 16 प्रतिशत खातों में धन जमा हुआ है। सार्वजनिक बैंकों में लगभग 9 करोड़ खाते व निजी क्षेत्र के बैंकों में मात्र 41 लाख खाते तथा शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खोले गये है। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई, कोटक महिन्द्रा, यस बैंक, इंडसंइड बैंक व करुर वैश्य बैंक ने 9 लाख के लगभग जन धन खाते खोले है।

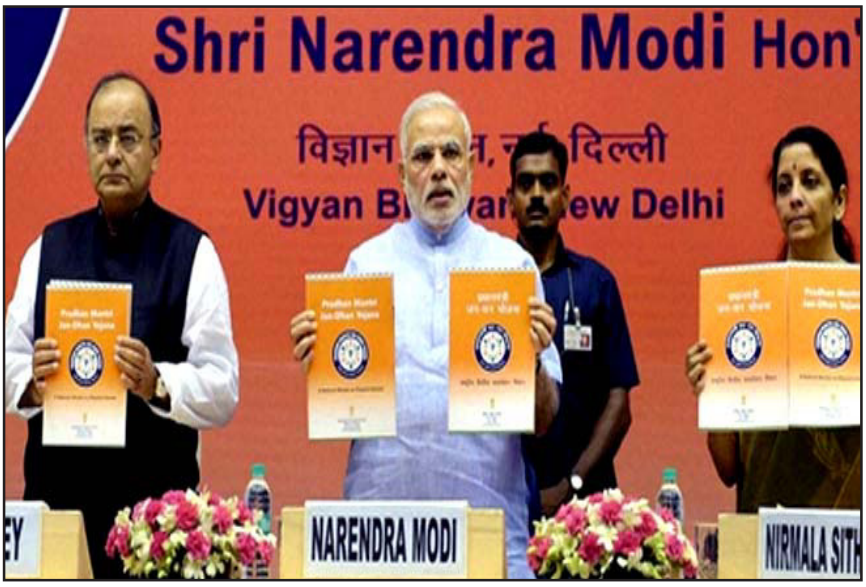

अगस्त 2014 से शुरु यह योजना के दूसरे चरण में खातों का उपयोग ऋण, बीमा, व पैंशन को देने के लिए होगा। मोदी का यह मानना है कि सिर्फ बैंक खाता न होने से विकास की गतिविधियां बाधित होती है। इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए व ग्राहक सेवा के ऊँचे मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंकों के द्वारा किये गये इस असाधरण प्रयास से प्राप्त हुई सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने उनको बधायी दी हैं।

उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में खाते बहुत अधिक खुले है तथा इन खातों से इन बैकों का व्यय बढ़ने वाला है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस सरकारी योजना में अपना मात्र 3.6 प्रतिशत ही सहयोग देकर अपने आगामी व्ययों को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त की है।

सरकार तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और केरोसिन पर सब्सिडी के क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार कर ही है। अभी तक 15 करोड़ परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष ट्रांसफर की शुरुआत हो चुकी है। अब सरकार यह देखेगी कि किन

परिवारों को सब्सिडी की जरुरत नहीं है। इस सबसे केरोसिन सब्सिडी के दुरुपयोग की समस्या भी दूर हो सकेगी। सरकार गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने के मूड में नहीं है बल्कि सब्सिडी को व्यावहारिक बनाने की जरुरत है जो परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे है उनके लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध लग सकता है। इस प्रकार सरकार के विकास संबंधी व्ययों को बढ़ोत्तरी मिल सकेगी क्योंकि फर्जीपने में लाखों करोड रुपयों की सब्सिडी भ्रष्टाचारियों की तिजोरियों में बंद हो रही है और काले धन के रुप में देश से बाहर जा रही है। उस काले धन का लाभ भारत के बाजार को नहीं मिल पा रहा है।

देश में इस समय 1,80,000 एटीएम लगे हुए है जिनकी संख्या भी बढाने की अब आवश्यकता हो गई है। बैंकों में जन धन योजना से काम बढेगा जिससे बैंकों में रोजगार के अवसर बढ सकेंगे। वर्तमान में देश में बडे पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को एक नये तंत्र की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सुदूर के गांवों में बैंकों को सीबीएस करने की आवश्यकता है क्योंकि नियमों के अभाव में ही इन खातों में पर्याप्त धन जमा नहीं हो सका है। पहले मौजूद खाताधारकों ने भी नये खाते खुलवाये। यह योजना इन खातों के ढंग से सचालित होने पर ही गेमचेंजर साबित हो सकती है। बैंकों पर इस योजना से अनावश्यक बोझ पड़ा वही यह योजना कुछ कुछ अपने उद्देश्य से भटकी हुई भी प्रतीत हुई। इन खातों में 9,200 करोड़ रुपये की तुलना में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा होने चाहिए थे तभी ये सब जन धन खाते बैकों को आर्थिक व लाभकारी साबित होते। अब बैंक इन खातों को सही ढंग से संचालित करने के उपाय करें। उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य नेता भी जनता को यह समझायें कि इन खातों को ठीक से संचालित किये बिना कोई लाभ (तुरंत लाभ एक लाख रुपये का बीमा) खाताधारकों को नहीं मिलने वाला है। जिन लाखों बैंक मित्रों की नियुक्ति की गई थी उनको भी इस दिशा में काम पर लगाया जा सकता है कि वे खाताधारियों को समझायें एवम् वे एक अभियान चला कर आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों के साथ बैंक खाते को जोडा जाना चाहिए जिससे पैंशन, छात्रवृति, मनरेगा के दलालों को कोई भुगतान प्राप्त न हो सके। वैसे जहां प्रधानमंत्री ने पूरे देश को डिजिटल व ब्राड बैंड से जोडने की योजना का काम शुरु किया हुआ है, उसके पूरा होने पर ही सुदूर गांवों की बैंक शाखाओं को सीबीएस किया जा सकेगा तथा एटीएम की सुविधा भी बढ़ सकेगी और लोगों के द्वारा इन जन धन खातों का संचालन आसान हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इच्छा जताई है कि सभी जन धन खातों को आधार कार्ड से जोडा जाय व बैंक इस प्रक्रिया मे तेजी लाकर देश मे वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को दुगुनी रफ्तार से बढायें। प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी 2015 को सभी बैकरों को ई–मेल भेज कर इस उल्लेखनीय कार्य की सराहना की व कहा कि देश के कुल परिवारों में से 99.74 प्रतिशत परिवारों को इस योजना में लाया गया है व कई योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के इस प्लेटफार्म का प्रयोग किया जाय अभी और सुधार की आवश्यकता है।

अगस्त 2014 से शुरु यह योजना के दूसरे चरण में खातों का उपयोग ऋण, बीमा, व पैंशन को देने के लिए होगा। मोदी का यह मानना है कि सिर्फ बैंक खाता न होने से विकास की गतिविधियां बाधित होती है। इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए व ग्राहक सेवा के ऊँचे मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता है। बैकों के द्वारा किये गये इस असाधरण प्रयास से प्राप्त हुई सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने उनको बधायी दी हैं।

अभी यह योजना अलाभकारी दिखाई दे रही है जिस प्रकार खेत को तैयार करके एक बीज बो दिया जाता है और बीज से अंकुर फुटने में कुछ समय तो लगता ही है। उसी प्रकार इस योजना को कारगर होने में कुछ समय लग सकता है। इस योजना का एक सुखद परिणाम जनता के सामाने आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह सूक्ष्म प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेमचेंजर के रूप में सामने आ सकेगा ऐसी आशा करनी चाहिए। ❑

देश में इस समय 1,80,000 एटीएम लगे हुए है जिनकी संख्या भी बढाने की अब आवश्यकता हो गई है। बैंकों में जन धन योजना से काम बढेगा जिससे बैंकों में रोजगार के अवसर बढ सकेंगे। वर्तमान में देश में बडे पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को एक नये तंत्र की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सुदूर के गांवों में बैंकों को सीबीएस करने की आवश्यकता है क्योंकि नियमों के अभाव में ही इन खातों में पर्याप्त धन जमा नहीं हो सका है।

हमारे गणतंत्र की अधूरी तस्वीरें

आज तमाम आर्थिक सुधारों और लोकोपयोगी योजनाओं के बाद भी गरीबी में कुछ खास कमी नहीं आई है। विश्व के कुल 42 प्रतिशत गरीबों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। देश की 70 प्रतिशत आबादी 20 रुपए रोजाना पर गुजर कर रही है। भूखमरी, कुपोषण और उचित इलाज के अभाव में हर साल ढाई करोड़ बच्चे जन्म के कुछ माह के अंदर ही दम तोड़ देते हैं. . . पिछले साल आम चुनाव में पहली बार कोई गैरकांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। उसके बाद से समस्याओं और चुनौतियों को लेकर सरकारी नजरिया बदलता दिख रहा है। देखना है कि बदलाव के नाम पर आई यह सरकार हालात को कितना बदल पाती है।

■ **अरविन्द जयतिलक**

जैसा सबको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान की भावना के अनुरूप आज भारत एक प्रभुता संपन्न गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य है। देश में संविधान का शासन है। संसद सर्वोच्च है। देश स्वतंत्र होने के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जनतंत्री भारत है। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान स्थान, विकास और सेवा के लिए समान अवसर मिलेगा। भारत में अलग रहने की नीति, छुआछुत, हठधर्मिता और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का स्थान नहीं होगा।

लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी के साढ़े छह दशक बाद हम इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएं हैं? क्या समाज में व्याप्त छुआछुत और शोषण को मिटाया जा सका है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को वाजिब अधिकार मिला है? क्या गैर–बराबरी खत्म हुई है? क्या महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में सार्थक बदलाव आया है? क्या भारत शक्तिशाली और जनतंत्री राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है? क्या देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी खड़े हैं।

इसमें दो राय नहीं कि आजादी मिलने के उपरांत इन बीते दशकों में भारत ने भरपूर उन्नति की है। मसलन कृषि उत्पादकता बढ़ी है। उद्योग–धंधों का विस्तार हुआ है। संचार के क्षेत्र में क्रांति आई है। सामाजिक सेवाओं का दायरा बढ़ा है। लेकिन क्या इन उपलब्धियों से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या यह सच नहीं है कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं पहले से सघन हुई हैं। इससे कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी जीने के मूलभूत अधिकारों से वंचित है। उनके लिए दो जून की रोटी, पीने का स्वच्छ पानी, तन ढंकने को कपड़ा और सिर छिपाने को मकान नहीं है। जबकि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में इन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का वादा किया जाता रहा है।

आज तमाम आर्थिक सुधारों और लोकोपयोगी योजनाओं के बाद भी गरीबी में कुछ खास कमी नहीं आई है। विश्व के कुल 42 प्रतिशत गरीबों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। देश की 70 प्रतिशत आबादी 20 रुपए रोजाना पर गुजर कर रही है। भूखमरी, कुपोषण और उचित इलाज के अभाव में हर साल ढाई करोड़ बच्चे जन्म के कुछ माह के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। पांच साल की उम्र के बच्चों में 43 प्रतिशत अंडरवेट हैं। उचित इलाज के अभाव में 20 वर्ष से कम उम्र की 50 फीसद महिलाएं प्रसव के दौरान मौत के मुंह में चली जाती हैं। विश्व की 40 प्रतिशत कुपोषित आबादी भारत में है। आखिर इस आर्थिक असमानता, गैर–बराबरी और बदतर स्वास्थ्य प्रणाली पर देश कैसे इतरा सकता है?

शिक्षा के क्षेत्र में भी कम भयावहता नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा की बदहाली बनी हुई है। अधिकतर निजी स्कूल गरीब बच्चों को शिक्षा देने को तैयार नहीं हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों में जरूरी संसाधनों और अध्यापकों की भारी कमी है। दुनिया के शीर्ष 100 विविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं। यह रेखांकित करता है कि प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल, सत्तासीन सरकारें और प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रही नौकरशाही की ओर से समुचित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हुआ है।

इसकी प्रमुख कारण अनैतिकता और भ्रष्टाचार है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक चरण में अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार के मामले अपवाद स्वरूप ही मिला करते थे। जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वे तत्काल इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज नेता अपराधी घोषित होने के बाद भी सत्ता सुख भोगने से वंचित नहीं रहना चाहते। नतीजा सामने है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि भ्रष्टाचारी नेताओं और नौकरशाहों का लाखों–करोड़ रपए का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। एक अरसे से नागरिक समाज भ्रष्टाचार पर नियंतण्रके लिए लोकपाल की मांग कर रहा है। लेकिन अब तक लोकपाल वजूद में नहीं आ पाया है।

पारदर्शिता के प्रति हमारे राजनीतिक दलों के आग्रह का यथार्थ यह है कि उन्हें खुद सूचना अधिकार कानून के दायरे में आना भी पसंद नहीं है। यह भी पसंद नहीं है कि दागी और अपराधी किस्म के लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसी का कुपरिणाम है कि आज संसद में जनता के सच्चे नुमाइंदों की जगह तमाम ऐसे लोग जा पहुंचे हैं जिन पर भ्रष्टाचार और अपराध के संगीन आरोप हैं। क्या ऐसे लोगों के हाथों में देश सुरक्षित रह सकता है? ऐसे लोग सकारात्मक बदलाव के संवाहक कैसे बन सकते हैं?

विडंबना है कि जिस राजनीति को सेवा धर्म समझा जाता है, वह आज व्यवसाय बन चुकी है। लिहाजा राजनीतिक दलों में सत्ता पर काबिज होने की होड़ मची है। वे सत्ता के लिए देश और समाज को खंडित कर रहे हैं। आजादी के संघर्ष के दौरान में शायद ही कभी किसी नेता की जुबान से बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक शब्द सुनने का मिला हो। लेकिन इन 67 सालों में नेताओं ने अपने धत्कर्म से देश को लहूलुहान कर दिया है।

आज वोट बैंक के लिए देश को

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में विभाजित कर दिया गया है। मजहब के नाम पर आरक्षण की वकालत की जा रही है। दुर्भाग्य यह कि जिस युवा पीढ़ी के कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, उन्हें राजनेताओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन वे उन्हें आरक्षण के सवाल पर उलझाए रखते हैं।

सच तो यह है कि इन साढ़े छह दशकों में संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति ने अपने लाभ की पूर्ति के लिए देश को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज देश नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद और क्षेत्रीयता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज की तारीख में नक्सलवाद से डेढ़ दर्जन से अधिक राज्य पीड़ित हैं। नक्सली हमलों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी तक उन पर काबू पाने का कोई ठोस तंत्र विकसित नहीं किया जा सका है। आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता भी चकनाचूर हुई है।

जम्मू–कश्मीर से लेकर सुदुर पूर्वोत्तर तक आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झुलस रहा है। आतंकी और अलगाववादी शक्तियां लगातार देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन विडंबना है कि देश के हुक्मरान अभी तक इस तरफ उदासीन ही रहे हैं। नतीजा यह है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। चीन लगातार भारतीय भूमि को अतिक्रमित करने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देश को लहूलुहान कर रहा है। छोटे पड़ोसी मुल्क मसलन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव भी आंखें तरेरते रहे हैं। पिछले साल आम चुनाव में पहली बार कोई गैरकांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। उसके बाद से समस्याओं और चुनौतियों को लेकर सरकारी नजरिया बदलता दिख रहा है। देखना है कि बदलाव के नाम पर आई यह सरकार हालात को कितना बदल पाती है। ❑

कब तक खाने का तेल विदेश भरोसे!

आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 1986–87 में जितना तिलहन उत्पादन था, वह 1994–1995 में दोगुने स्तर तक पहुंच गया। इसके कारण खाद्य तेल उत्पादन बढ़ा और इसके आयात की जरूरत ही नहीं रह गई। लेकिन बाद के वर्षों में एक ओर सरकार का पीली क्रांति पर ध्यान कम होता गया, तो दूसरी ओर दुनिया के खाद्य तेल उत्पादकों से भारत के तेल उत्पादक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। नतीजतन फिर से खाद्य तेल आयात बढ़ने लगा।

■ **जयंतीलाल भंडारी**

खाद्य तेल आयात में हो रही भारी बढ़ोतरी देश के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रही है। स्थिति यह है कि खाद्य तेल आयात में लगातार जारी वृद्धि के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवम्बर 2013 से अक्टूबर 2014 में रिकार्ड 118.20 लाख टन खाद्य तेल आयात हुआ है। चालू तेल वर्ष 2014–15 के पहले माह नवम्बर में खाद्य तेल आयात 26 प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में अनुमान है कि चालू तेल वर्ष में खाद्य तेल आयात बढ़कर 123 लाख टन के स्तर पर पहुंच जाएगा। यह खाद्य तेल के आयात का अब तक का सर्वोच्च स्तर होगा। ऐसी स्थिति में खाद्य तेल पर भारत की आयात निर्भरता बढ़कर 65 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाएगी।

यदि हम पिछले वर्षों के खाद्य तेल परिदृश्य पर नजर डालें तो पाते हैं कि देश में खाद्य तेल आयात बढ़ने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। एक, देश में तिलहन उत्पादन को उपयुक्त प्रोत्साहन नहीं मिलने से खाद्य तेल उत्पादन में लगातार कमी। दो, आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के कारण मलेशिया और इंडोनेशिया से बहुत कम कीमत पर भारतीय बाजार में पामोलिव एवं सोयीबीन तेल की खपतय और तीन, दुनिया में तिलहन और खाद्य तेल के उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण खाद्य तेल की कीमतों में कमी। वस्तुतः भारत में एक ओर तिलहन उत्पादन में कमी होती गई, वहीं दूसरी ओर तिलहन उत्पादन की लागत बढ़ती गई। केंद्रीय तेल उद्योग एवं कारोबार संगठन (कोएट) की दिसम्बर 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार खरीफ सीजन में देश का तिलहन उत्पादन 276.4 लाख टन रहा, जो पिछले साल के इस सीजन में 293.5 लाख टन था। सोयाबीन का रकबा 12 लाख हेक्टेयर घटकर 110.2 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि मूंगफली का रकबा छह लाख हेक्टेयर घटकर 37.3 लाख हेक्टेयर रहा। कोएट ने इस सीजन में सोयाबीन और मूंगफली का उत्पादन

भारत के घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को नुकसान पहुंचाने में खाद्य तेल से संबद्ध कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने अफवाह फैलाई कि सरसों के तेल में आर्जीमोन नामक खरपतवार के बीजों का तेल मिलाया जाता है जो खाने योग्य नहीं है। अतः देश में सरसों के तेल को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा और इससे पामोलिव व सोयाबीन तेल के आयात को भारी बढ़ावा मिला। स्थिति यह है कि वर्ष 2013–14 में कुल खाद्य तेल आयात में पामोलिव व सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई।

क्रमशः 91.7 लाख टन और 35.7 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। पिछले साल के इसी सीजन में सोयाबीन का उत्पादन 95 लाख टन और मूंगफली का 47.2 लाख टन रहा था। स्थिति यह है कि घरेलू खाद्य तेल उत्पादक ऊंची लागत के कारण विदेशों से आयातित खाद्य तेल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं।

इस समय आयातित खाद्य तेल और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में 40–50 डॉलर प्रति टन का अंतर है। अतः घरेलू खाद्य तेल उत्पादक इकाइयों के लिए यह कारोबार फायदेमंद नहीं रह गया है। इसका खाद्य तेल उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ा है। आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण भारत को सस्ते में पामोलिव तेल मिलने लगा है। इससे भारत के तिलहन उत्पादकों को निराशा हाथ लगी और उनके कदम पीछे हटे हैं। चूंकि मलेशिया और इंडोनेशिया ने पिछले पांच वर्षों से पाम उत्पादों पर शुल्क खत्म किया हुआ है। इन देशों में बायोडीजल के लिए कच्चे पाम तेल की मांग भी घट रही है। ऐसे में इन निर्यातक देशों ने बढ़ते स्टॉक को कम करने के लिए पाम उत्पादों का भारत को कम कीमत पर निर्यात बढ़ाया है।

भारत के घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को नुकसान पहुंचाने में खाद्य तेल से संबद्ध कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने अफवाह फैलाई कि सरसों के तेल में आर्जीमोन नामक खरपतवार के बीजों का तेल मिलाया जाता है जो खाने योग्य नहीं है। अतः देश में सरसों के तेल को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा और इससे पामोलिव व सोयाबीन तेल के आयात को भारी बढ़ावा मिला। स्थिति यह है कि वर्ष 2013–14 में कुल खाद्य तेल आयात में पामोलिव व सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि खाद्य तेल के नियंत्रण बाजार में कीमतों में कमी का प्रमुख कारण तिलहन उत्पादन में भारी वृद्धि होना है। तिलहन की अत्यधिक आपूत्ति की वजह से खाद्य तेल की कीमतें पहले ही कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नियंत्रण तिलहन उत्पादन में वृद्धि और सस्ते खाद्य तेल का वर्तमान परिदृश्य लंबे समय तक जारी रहे। ऐसे में जरूरी है कि हम एक बार फिर देश में 1986 में गठित तकनीकी मिशन की बदौलत अस्तित्व में आई पीली क्रांति की ओर ध्यान दें। उस समय देश का खाद्य तेल आयात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया था। तब तिलहन पर तकनीकी मिशन के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों की खेती को प्राथमिकता दी गई। कई उन्नत, संकर तिलहन प्रजातियों का विकास किया गया। फलतरू तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।

आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 1986–87 में जितना तिलहन उत्पादन था, वह 1994–1995 में दोगुने स्तर तक पहुंच गया। इसके कारण खाद्य तेल उत्पादन बढ़ा और इसके आयात की जरूरत ही नहीं रह गई। लेकिन बाद के वर्षों में एक ओर सरकार का पीली क्रांति पर ध्यान कम होता गया, तो दूसरी ओर दुनिया के खाद्य तेल उत्पादकों से भारत के तेल उत्पादक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। नतीजतन फिर से खाद्य तेल आयात बढ़ने लगा। इसमें दोमत नहीं कि पिछले दिनों सरकार ने कच्चे वनस्पति तेल और रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने को जो निर्णय लिया हैं, उससे सोयाबीन और सोया उत्पादकों को कुछ राहत जरूर मिली है और कारोबारियों को लगता है कि इस कदम से सुस्त पड़े बाजार को कुछ सहारा मिल सकता है। लेकिन यह तात्कालिक राहत खाद्य तेल आयात की बड़ी चुनौती को कम नहीं कर सकती।

ऐसे में जरूरी है कि अब फिर पीली क्रांति पर ध्यान देकर तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जाएं। खाद्य तेल की उत्पादकता देश में बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रयास होने चाहिए। देश में कुल तिलहन का करीब 70 फीसद हिस्सा गैर सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है। पिछले कुछ सालों के दौरान कई ऐसी किस्में आई हैं जिनसे तिलहन उत्पादन में अच्छा इजाफा किया जा सकता है। लेकिन तिलहन की वे किस्में किसानों तक नहीं पहुंच सकीं। अगर इन सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा सके तो देश में तिलहन उत्पादन में भारी इजाफा किया जा सकता है और इस दौरान खेती का रकबा बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही देश में तिलहन से तेल निकालने की कुल क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल किए जाने की रणनीति भी बनाई जानी चाहिए। हम आशा करें कि केंद्र सरकार देश में तिलहन उत्पादन और खाद्य तेल उत्पादन में भारी इजाफा करने के लिए सुझावों और उपायों पर ध्यान देगी। उम्मीद है कि कि मोदी सरकार पीली क्रांति के तकनीकी मिशन को नया रूप देगी। निश्चित रूप से ऐसा अमल किए जाने पर एक बार फिर देश खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और खाद्य तेल आयात पर व्यय हो रही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ❑

रक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम

अग्नि–पांच को अचूक बनाने के लिए भारत ने माइक्रो नेवीगेशन सिस्टम, कार्बन कंपोजिट मैटेरियल से लेकर कंप्यूटर व साफ्टवेयर तक ज्यादातर उपकरण स्वदेशी तकनीक से विकसित किये हैं। आज के तकनीकी युग में हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जिस तरह चीन एशिया में लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत को भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हुए अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते जाना होगा।

■ **शशांक द्विवेदी**

रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि–5 का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण कर लिया। अग्नि–5 का यह तीसरा सफल परीक्षण है। देश में तैयार अग्नि–5 भारत की पहली अंतर–महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसकी जद में आने वाले यूरोप के कई देशों के अलावा चीन भी शामिल है। अमेरिका, रूस, फ्रांस व चीन के बाद भारत दुनिया का पांचवां देश है, जिसके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

डीआरडीओ ने चार साल में इसे तैयार किया जिसे बनाने में करीब 50 करोड़ की लागत आई है। 50 टन वजनी और 17.5 मीटर लंबी यह मिसाइल एक टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 20 मिनट में 5000 किमी की दूरी तय करने की क्षमता वाली इस मिसाइल के लांचिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसको कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इसे सड़क से भी लांच किया जा सकता है।

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के अनुसार अस्सी प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बनी इस मिसाइल ने भारत को नाभिकीय बम के साथ सुदूर लक्ष्य पर सटीक वार करने वाली अतिजटिल तकनीक का रणनीतिक रक्षा कवच दिया है। इसके जरिए भारत किसी भी हमलावर को भरोसेमंद पलटवार क्षमता के साथ मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। यह भारत के सामरिक इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें स्वदेशी तकनीक के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम की भी पुष्टि होती है।

अग्नि–पांच को अचूक बनाने के लिए भारत ने माइक्रो नेवीगेशन सिस्टम, कार्बन कंपोजिट मैटेरियल से लेकर कंप्यूटर व साफ्टवेयर तक ज्यादातर उपकरण स्वदेशी तकनीक से विकसित किये हैं। आज के तकनीकी युग में हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जिस तरह चीन एशिया में लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत को भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हुए अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते जाना होगा। तभी देश बदलते समय के साथ विश्व में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। जमीन और सीमा विवाद को लेकर जिस तरह चीन भारत को लगातार चुनौती दे रहा है और कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर पकिस्तान सामरिक हित पूरे कर रहा है, ऐसे में देश के पास लंबी दूरी की अग्नि–5 जैसी मिसाइल होना बेहद जरूरी है।

चीन ने दो साल पहले ही 12 हजार किलोमीटर दूर तक मार करने वाली

तुंगफंग–31 ए बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कर लिया है लेकिन अब अग्नि 5 के सफल परीक्षण से कोई दुश्मन देश हम पर हावी नहीं हो सकेगा। इस सफलता ने भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता की पुष्टि कर दी है और डीआरडीओ ने अपनी ख्याति और क्षमताओं के अनुरूप ही अग्नि 5 को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया है लेकिन देश की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता और रक्षा जरूरतों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ डीआरडीओ की ही नहीं होनी चाहिए। 'आत्मनिर्भरता संबंधी जिम्मेदारी' रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी पक्षों की होनी चाहिए। देश में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत है और इस दिशा में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें सरकार द्वारा अबिलम्ब दूर करना होगा तभी सही मायनों में हम विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर पाएंगे।

सरकार को महसूस करना चाहिए कि अत्याधुनिक आयातित प्रणाली भले बहुत अच्छी हो लेकिन कोई भी विदेशी प्रणाली लंबे समय तक अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सैन्य तकनीक और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भारत को हथियारों के आयात की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। अगर हम विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आतंरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी क्योंकि भारत पिछले छह दशक के दौरान अपनी अधिकांश सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से हथियार खरीदकर कर रहा है। वर्तमान में हम अपनी सैन्य जरूरतों का

सरकार को महसूस करना चाहिए कि अत्याधुनिक आयातित प्रणाली भले बहुत अच्छी हो लेकिन कोई भी विदेशी प्रणाली लंबे समय तक अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सैन्य तकनीक और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही भारत को हथियारों के आयात की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए।

70 प्रतिशत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं। रक्षा जरूरतों के लिए भारत का दूसरों पर निर्भर रहना कई मायनों में खराब है। एक तो यह कि अधिकतर दूसरे देश भारत को पुरानी रक्षा प्रौद्योगिकी ही देने को राजी हैं, वह भी ऐसी शर्तों पर जिन्हें कोई स्वाभिमानी राष्ट्र कतई स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में स्वदेशी व आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।

पिछले वर्षों में सैन्य हथियारों, उपकरणों की कीमत दोगुनी कर देने, पुराने विमान, हथियार व उपकरणों के उच्चीकरण के लिए मुंहमांगी कीमत वसूलने

वर्तमान हालात ऐसे हैं कि हमें मजबूती के साथ आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनता जा रहा है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम उठाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

और सौदे में मूल प्रस्ताव से हट कर और कीमत मांगने के कई केस सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को भागीदार नहीं बनाना चाहता। अमेरिका भारत को हथियार व उपकरण तो दे रहा है पर उनका हमलावर इस्तेमाल न करने व कभी भी इस्तेमाल की जांच के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने जैसी शर्मनाक शर्तें भी लगा रहा है। आयातित टेक्नोलॉजी पर हम ब्लैकमेल का शिकार भी हो सकते हैं।

वर्तमान हालात ऐसे हैं कि हमें मजबूती के साथ आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनता जा रहा है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम उठाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद रक्षा वैज्ञानिकों को अब दुश्मन मिसाइल मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश इस सिस्टम को विकसित कर चुके हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन देश द्वारा दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस कामयाबी के साथ ही हमारी चुनौतियां भी बढ़ गई है क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए हथियारों और उपकरणों की होड़ में शामिल हो जाएंगें इसलिए हमें सतर्क रहते हुए अपने रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करते जाना होगा। आगे बढ़ते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ❑

हुनरमंद भारतीयों पर निर्भर मेक इन इंडिया

स्किल इंडिया बनाने के अपने इरादे के तहत मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। यह बताने के लिए कि सरकार इसे कितना महत्व देती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी बनाया गया है। हमारे देश में स्किल विकास का कार्यक्रम नया नहीं है लेकिन स्वतंत्र मंत्रालय जरूर नया है। इसलिए नए एप्रोच की जरूरत है। वैसे यह सवाल बार–बार उठ रहा है कि केंद्र सरकार पहले की तरह हर योजना को स्वतंत्र रूप से पैसा देगी या इस मंत्रालय को ही सभी स्किल विकास के कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यह भले ही निकट भविष्य में न हो, लेकिन आखिर में ऐसा ही होना है।

■ **सतीश पेडणोकर**

भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाकर करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। जिसकी देश और विदेशों काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए देशी–विदेशी पूंजी निवेश और आर्थिक सुधार जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है कौशल या हुनरमंद श्रमशक्ति।

यदि देश के पास हुनरमंद लोग नहीं होंगे तो पूंजी निवेश और आर्थिक सुधार जैसे कारक भी मेक इन इंडिया को सफल बनाने में नाकाम साबित होंगे। न केवल श्रमशक्ति हुनरमंद होनी चाहिए, बल्कि नियंत्रण स्तर पर प्रतियोगी भी होनी चाहिए। इसीलिए मेक इन इंडिया को सफलता के लिए सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया शुरू की है।

भारत सवा सौ करोड़ की विशाल मनुष्य शक्ति का देश है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है भारत युवा शक्ति का देश है जहां 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसमें शिक्षित युवाशक्ति की तादाद भी अच्छी– खासी है, लेकिन भारत की यह खूबी तब कमजोरी में बदल जाती है जब स्किल या हुनर की बात आती है। इन शिक्षित लोगों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास कोई हुनर नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को शिक्षा तो दी, मगर कोई स्किल नहीं दी जिससे वे किसी उद्योग या व्यवसाय में नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकें।

दरअसल, हुनर भी ऐसा होना चाहिए, जिसकी बाजार में मांग हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकले छात्र उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए नौकरी पाने लायक नहीं होते। हमारी शिक्षा पद्धति की विडंबना यह है कि हमने शिक्षा को किताबी बना दिया, उसे रोजगार से जोड़ने की कोशिश नहीं की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह कहते हैं कि हमने 2011 में मुंबई की एक बड़ी फाइनेंशियल कारपोरेशन कंपनी को आमंत्रित किया था कि वह छात्रों को अपने यहां नौकरी के लिए नियुक्त कर सके। इसके लिए स्नातक

स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी उद्योग और व्यापार धंधों को जरूरत हो और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। अगर लोगों के पास स्किल हो और बाजार की मांग के अनुसार न हो तो स्किल और बाजार के बीच में मिसमैच हो जाएगा।

स्तर के अभ्यार्थियों से कंपनी बुनियादी जानकारी की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन 1200 अभ्यर्थियों में महज तीन अभ्यार्थियों को कंपनी ने चुना।

दरअसल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय दर समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत–सी गलतियां हुई हैं, जो राष्ट्र के विकास में अवरोध पैदा कर रही हैं। यदि 1200 छात्रों में केवल तीन छात्र चुने जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम छात्रों को हुनरमंद नहीं बना पा रहे हैं। सीआईआई की नवीनतम रपट इंडिया स्किल रिपोर्ट–2015 के मुताबिक, हर साल सवा करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं लेकिन ये तभी हमारे लिए एसेट बन सकते हैं जब वे आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक सही तरीके से प्रशिक्षित हों। अन्यथा वे बेरोजगारों की फौज ही बढ़ाएंगे।

रपट के मुताबिक अभी आने वाले युवाओं में से 37 प्रतिशत ही रोजगार के काबिल होते हैं। यह आंकड़ा कम होने के बावजूद पिछले साल के 33 प्रतिशत के आंकड़े से ज्यादा है और संकेत देता है कि युवाओं को स्किल देने की दिशा में धीमी गति से ही सही काम हो रहा है। सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था की इस मूलभूत कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में बहुत ज्यादा सचेत हैं और इस दिशा में निरंतर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के दिन छात्रों के लिए स्किल की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार–बार कहा था कि हमें स्किल्ड इंडिया बनाना है। इसके पीछे का तर्क किसी को भी समझ में आने वाला है कि देश के करोड़ों लोगों को रोजगार केवल तभी दिया जा सकता है, जब उनके पास कोई स्किल हो। ऐसा न होने के कारण ही आज देश की हालत यह है कि एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को जरूरत के समय प्लंबर, कारपेंटर आदि सामान्य तकनीशियन तक नहीं मिल पाते। उद्योगों को भी कई तरह के तकनीशियन चाहिए होते हैं मगर उन्हें कुशल और हुनरमंद लोग मिल नहीं पाते।

यह सही है कि विकास के लिए सही नीतियों का चुनाव जरूरी है, लेकिन विकास और स्किल का भी चोली–दामन का साथ रहा है। यदि देश में स्किल का विकास न हो तो विकास बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा पाता, उसे लोगों में स्किल विकसित होने तक का इंतजार करना ही पड़ता है। इसलिए इन दिनों विकास के लिए मानव संसाधनों के विकास की जरूरत पर भी बल दिया जाने लगा है।

हुनर की मांग और आपूर्त्ति में इस खाई की वजह यह है कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि भारत में मौजूद युवाशक्ति के स्किल विकास पर ध्यान दिया जाए तो हमारा देश निश्चित ही विकास के मामले में सफलता के झंड़े गाड़ सकता है। आज के जमाने में विकास के लिए संसाधन, पूंजी आदि जितना ही जरूरी है हुनरमंद मानवीय संसाधन। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि देशभर में स्किल विकास केंद्रों का जाल हो, साथ ही साथ इन केंद्रों को उद्योगों के साथ जोड़ा जाए।

यह सही है कि विकास के लिए सही नीतियों का चुनाव जरूरी है, लेकिन विकास और स्किल का भी चोली–दामन का साथ रहा है। यदि देश में स्किल का विकास न हो तो विकास बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा पाता, उसे लोगों में स्किल विकसित होने तक का इंतजार करना ही पड़ता है। इसलिए इन दिनों विकास के लिए मानव संसाधनों के विकास की जरूरत पर भी बल दिया जाने लगा है। इसका मतलब है कि देश के नागरिक पढ़े–लिखे हों और उनके पास इस तरह का हुनर हो जिसके जरिये वे विकास में अहम योगदान दे सकें। स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी उद्योग और व्यापार धंधों को जरूरत हो और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। अगर लोगों के पास स्किल हो और बाजार की मांग के अनुसार न हो तो स्किल और बाजार के बीच में मिसमैच हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्किल होने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। यही कारण है 44 प्रतिशत कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने वाले और 60 प्रतिशत टैक्सटाइल से जुड़े स्किल की ट्रेनिंग लेने वाले खाली बैठे हैं। यह समस्या केवल हमारे ही नहीं, बाकी देशों की भी है और उन्होंने इसे अपने तरीके से सुलझाया है।

जर्मनी में चैंबर आफ कॉमर्स इस तरह की स्किल्स पर नजर रखता है जिनकी उद्योगों को आवश्यकता है और उसके लिए पाठ्यक्रम बनाने और उसे लागू करने में मदद करता है। हमारी औद्योगिक संस्थाओं फिक्की और सीआईआई को इससे सबक लेना चाहिए और कुशल मानव संसाधन चाहिए तो उन्हें इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए,

क्योंकि देश में वोकेशनल संस्थाएं बहुत कम हैं। अभी जो वोकेशनल संस्थाएं हैं, अपनी पूरी क्षमता से काम करें तो भी हर साल स्कूल छोड़ने वालों में से केवल 3% को ही वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकती हैं।

दरअसल, पश्चिमी देश पिछले वर्षों के अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अकादमिक शिक्षा की तरह ही बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली स्किल की शिक्षा देनी भी जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने स्किल विकास के मामले में चमत्कार कर दिखाया है और उसके चौंधिया देने वाले विकास के पीछे स्किल विकास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस मामले में उसने जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। 1950 में दक्षिण कोरिया की विकास दर हमसे बेहतर नहीं थी। लेकिन इसके बाद उसने स्किल विकास में निवेश करना शुरू किया। यही वजह है कि 1980 तक वह भारी उद्योगों का हब बन गया। उसके 95 प्रतिशत मजदूर स्किल्ड हैं या वोकेशनली ट्रेंड हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा तीन प्रतिशत है। ऐसी हालत में भारत कैसे आर्थिक महाशक्ति बन सकता है।

स्किल इंडिया बनाने के अपने इरादे के तहत केन्द्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। यह बताने के लिए कि सरकार इसे कितना महत्व देती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी बनाया गया है। देश में स्किल विकास का कार्यक्रम नया नहीं है लेकिन स्वतंत्र मंत्रालय जरूर नया है। इसलिए नए एप्रोच की जरूरत है। वैसे यह सवाल बार बार उठ रहा है कि केंद्र सरकार पहले की तरह हर योजना को स्वतंत्र रूप से पैसा देगी या इस मंत्रालय को ही सभी स्किल विकास के कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यह भले ही निकट भविष्य में न हो, लेकिन आखिर में ऐसा ही होना है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

समस्या

कैंसर की गिरफ्त में उत्तर भारत

आज इस प्रकार की अपूर्व जिन्दगियाँ पाने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। कैंसर से मुक्त इन जीती–जागती मिसालों के साथ डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार से अपनी औषधि के परिणामों की अपने स्तर से जांच पड़ताल कराकर चिकित्सा की वर्तमान धारा में शामिल किये जाने की मांग की है ताकि लाखों कैंसर रोगियों की जान बचायी जा सके।

■ निरंकार सिंह

देश में आज उत्तर भारत में कैंसर के रोगी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में इस रोग ने महामारी का रूप ले लिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों का रिकार्ड तोड़कर पहले नम्बर का दर्जा हासिल कर लिया है। पिछले साल यहां कैंसर रोगियों की संख्या 1,86,638 पायी गयी। जिनमें से 81,121 की मौत हो गयी है। केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से कैंसर की रोकथाम के लिए उठाये जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार रोगियों में हर साल 10 फीसदी की वृद्धि हो रही है। लखनऊ स्थित केजीएमयू में ही हर साल सात हजार से अधिक मुंह के कैंसर के मरीज लगातार आ रहे हैं।

केजीएमयू के रेडियोथेरेपी विभाग के हेड प्रो. एम. एल. भट्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती लाइफ स्टाइल जहां स्तन कैंसर को बढ़ावा दे रही है तो धूमपान, प्रदूषित वातावरण के कारण फेफड़ें के कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के मामले आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक भी कैंसर का एक कारण बना हुआ है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 11 जुलाई 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक चंड़ीगढ़ में वर्ष 2011 में कैंसर के 893 मरीज थे, जिनकी संख्या बढ़कर वर्ष 2013 में 937 हो गई। पंजाब में राज्य सरकार के सर्वे के मुताबिक वर्ष 2011 में कैंसर कुल 23,506 मरीज थे। दो साल बाद वर्ष 2013 में यही आंकड़ा 24,512 तक पहुंच गया। इसी तरह हरियाणा में वर्ष 2011 में कैंसर के 21,539 मरीज मिले थे जबकि 2013 में यह संख्या 22,721 तक पहुंच गयी। यह रोग जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस हिसाब से चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

हालांकि हाल के वर्षों में कैंसर के उपचार के क्षेत्र में जिन आधुनिक विधियों व तकनीकों का समावेश हुआ है, उससे इस रोग से ग्रस्त लोगों में आशा का संचार हुआ है। दवाएं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार के महत्वपूर्ण अंग हैं। कैंसर ग्रस्त लोगों का इलाज या तो उपरोक्त विधियों द्वारा सिलसिलेवार तरीके से किया जाता है या फिर इनके संयोजन से इलाज होता है।

हालांकि हाल के वर्षों में कैंसर के उपचार के क्षेत्र में जिन आधुनिक विधियों

व तकनीकों का समावेश हुआ है, उससे इस रोग से ग्रस्त लोगों में आशा का संचार हुआ है। दवाएं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार के महत्वपूर्ण अंग हैं। कैंसर ग्रस्त लोगों का इलाज या तो उपरोक्त विधियों द्वारा सिलसिलेवार तरीके से किया जाता है या फिर इनके संयोजन से इलाज होता है। कैंसर सर्जरी का लक्ष्य अब विभिन्न अंगों की रक्षा करना है। कैंसर उपचार में लैप्रोस्कोपिक व रोबोटिक सर्जरी प्रचलन में आ चुकी है।

कैंसर मरीजों और मौतों का ग्राफ (मरीज/मौत)

प्रदेश	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014 (ट्रेड)
उत्तर प्रदेश	170013/74806	175404/77178	180945/79161	186638/82121
पंजाब	23506/10343	24006/10563	24512/10785	25026/11011
हरियाणा	21539/9477	22122/9734	22721/9998	23326/10268
चंडीगढ़	893/393	915/403	937/413	960/423
जम्मू कश्मीर	10688/4703	11052/4863	11428/5028	11818/5198
हिमांचल	5836/2568	5966/2625	6097/2683	6230/2741
उत्तराखण्ड	8633/3798	8899/3916	9173/4037	9455/4160

(स्रोत – केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोकसभा में 11 जुलाई 2014 को पेश की गई रिपोर्ट)

इसमे संदेह नहीं कि पहले की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रेडिएशन थेरेपी द्वारा ट्यूमर को लक्ष्य कर उसे हटाया जा रहा है। इस रेडिएशन थेरेपी को इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी से रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभावों (साइड इफेक्ट्स) से बचाव होता है और स्वस्थ ऊतकों (टिश्यूज) व अंगों का भी बचाव होता है। इसके अलावा 'इंटेसिटी मॉड्यूलेटिड रेडिएशन थेरेपी' और 3डी कॉनफॉरमल रेडिएशन थेरेपी से भी बेहतर उपचार संभव हुआ है। रेडिएशन की नई तकनीकों में स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी, गामा नाइफ और साइबर नाइफ शामिल है। साइबर नाइफ सिस्टम कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का सबसे नया उपकरण है। इसका लक्ष्य है पारंपरिक रेडियोथेरेपी की तुलना में कहीं अधिक सटीकता के साथ कीमोथेरेपी देने का तरीका अब बेहतर हो चुका है। जैसे 'नियो–एंडजुवेंट कीमोथेरेपी' का लक्ष्य सर्जरी को संभव बनाने के लिए ट्यूमर के आकार को घटाना है। मेंटीनेंस थेरेपी और पैलिएटिव थेरेपी अन्य किस्म की कीमोथेरेपी है। लेकिन दवाओं के मोर्चे पर अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इसके कई कारण हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी संस्था डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक दवाओं का निर्माण ड्रग पदार्थों से होता रहेगा तब तक कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दवाएं विषों और उपविषों से तैयार होती है। वे ड्रग चाहे रसायनिक हों या खनिज अथवा वानस्पतिक हों, उनसे रोगों के 'क्योर' (उन्मूलन) की कल्पना नहीं की सकती है। कैंसर एवं एड्स जैसे रोगियों को जिनकी जीवनी शक्ति पहले से ही क्षीण हो चुकी होती है उन्हें कोई भी ड्रग देना और भी खतरे में डाल देना होगा। ड्रगों से औषधियां तैयार करके कैंसर को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए औषधीय चिकित्सा की प्रचलित पद्धतियां विगत हजारों वर्षो में एक भी कैंसर रोगी के प्राण नहीं बचा सकीं। इसका कारण उनकी ड्रग–सिद्धांत पर निर्भरता है। सर्जरी और रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर के ट्यूमरों को शरीर से हटाया या जलाया जा सकता है। ये कैंसर की चिकित्सा के माध्यम नहीं बन सकते। इसलिए डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ड्रग–सिद्धांत से अलग हटकर अनुसंधान करने का क्रांतिकारी अभियान शुरू किया।

सेंटर के वैज्ञानिकों ने सन् 1965 से अनवरत शोध एवं अनुसंधान करके ड्रगौषधियों के अंधकार–युग से अलग हटकर एक नये वैज्ञानिक चिकित्सा सिद्धांत 'पोषक ऊर्जा एवं सचेतन रसायन विज्ञान' का वैज्ञानिक विकास करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने प्राकृतिक मानवीय भोज्य पदार्थों से पोषक ऊर्जा प्राप्त करके औषधियों का विकास किया है, जो औषधियां निरापद हैं, स्वास्थ्य और जीवनीशक्ति का विकास करने वाली हैं. . .

उन्होंने देखा कि रोगों की उन्मूलक चिकित्सा के स्रोत तो प्राकृतिक मानवीय भोज्य पदार्थों में सन्निहित निरापद पोषक ऊर्जा हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के विकास और सुरक्षा के लिए प्रकृति की देन है। सेंटर के वैज्ञानिकों ने सन् 1965 से अनवरत

शोध एवं अनुसंधान करके ड्रगौषधियों के अंधकार–युग से अलग हटकर एक नये वैज्ञानिक चिकित्सा सिद्धांत 'पोषक ऊर्जा एवं सचेतन रसायन विज्ञान' का वैज्ञानिक विकास करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने प्राकृतिक मानवीय भोज्य पदार्थों से पोषक ऊर्जा प्राप्त करके औषधियों का विकास किया है, जो औषधियां निरापद हैं, स्वास्थ्य और जीवनीशक्ति का विकास करने वाली हैं, सचेतन मेटाबोलिज्म का विचलन दूर करने वाली और स्वास्थ्य की रोग–प्रतिरोध क्षमता का विकास करने वाली है।

औषधियों के परिणाम परीक्षण की एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। औषधियां ड्रगों से बनती हैं इसलिए सबसे पहले यह परीक्षण किया जाता है कि कहीं वे मानव स्वास्थ्य को खतरे में तो नहीं डाल देंगी। इसके लिए उनका परीक्षण जीव जन्तुओं पर होता है। पर वाराणसी के डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने तो खाद्य पदार्थों की पोषक ऊर्जा से अपनी औषधियां तैयार की थी। अतएव उसकी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया संभव ही नहीं है क्योंकि पोषक ऊर्जा और सचेतन रसायन के विवेक पर ही सृष्टि ने जीवन जगत को बसाया है। इसलिए सेंटर के वैज्ञानिकों ने डा. उमाशंकर तिवारी और प्रो. शिवाशंकर त्रिवेदी की देख–रेख में पोषक ऊर्जा से तैयार अपनी औषधि 'सर्वपिष्टी' का परीक्षण कैंसर के उन मरणासन्न रोगियों पर प्रारंभ किया, जिनका कैंसर बहुत उग्र हो चुका था और स्थापित कैंसर अस्पतालों ने जिन्हें हरसंभव चिकित्सा के बाद मात्र कुछ दिनों की जिंदगी बताकर छुट्टी दे दी थी। ऐसे मरणासन्न रोगियों को उन्होंने अपनी औषधि दी, जिसने उनके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित विकास के लक्षण दिये, कईयों की अपेक्षा से अधिक दिनों तक जीवित रहने का अवसर मिला और कुछ पूरी तरह से कैंसर मुक्त और स्वस्थ होकर नयी जिन्दगी पा गए, जो आज भी उसी प्रकार स्वस्थ हैं।

यद्यपि अस्पताल के चिकित्सकों ने जो अनुभव किया था, उससे बहुत अधिक समय तक सुखपूर्वक जीवित रह जाना स्वयं ही उत्साहवर्धक था, किन्तु सेंटर ने अपनी औषधि द्वारा चिकित्सा बन्द करने के बाद भी आगे के पांच वर्षों तक उनका समाचार लिया। फिर वे आश्वस्त हो गये कि ये रोगी पूर्णतः कैंसरमुक्त हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता, तो उनमें कैंसर के लक्षण दुबारा अवश्य उत्पन्न हुए होते। आज इस प्रकार की अपूर्व जिन्दगियाँ पाने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। कैंसर से मुक्त इन जीती–जागती मिसालों के साथ डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार से अपनी औषधि के परिणामों की अपने स्तर से जांच पड़ताल कराकर चिकित्सा की वर्तमान धारा में शामिल किये जाने की मांग की है ताकि लाखों कैंसर रोगियों की जान बचायी जा सके। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वदेशी सन्देश

आज जो देश आर्थिक दृष्टि से आगे हैं, वही विश्व पर छाये हैं। जापान जैसा छोटा-सा देश अमरीका जैसे विशाल और सम्पन्न देश को भी आज चुनौती दे रहा है। उसका मुख्य कारण है जापानवासियों का स्वदेशी प्रेम। ये लोग सस्ता और अच्छा माल भी यदि वह विदेशी है तो खरीदना स्वीकार नहीं करते। अपने देश का बना महंगा माल ही उन्हें स्वीकार है। जापान की उन्नति का यही राज है।

सवाल

अपने ही देश में बेगानेपन का दंश

वास्तव में घाटी के बहुसंख्यक मुस्लिमों को छोड़कर शेष धर्म व जाति समूह ऐसी हताशा का शिकार हैं, जो देश के नागरिक होने के बावजूद अलगाववादी कानूनी व्यवस्था के कारण खुद को अलग–थलग महसूस करते हैं। आतंकी दहशत इस निराशा को और गहराने का काम करती है। बंटवारे के समय सांप्रदायिक दंगों के चलते अपना सब कुछ गंवाकर हजारों हिंदू परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर घाटी के सीमांत इलाकों और जम्मू क्षेत्र में आ बसे। इनमें ज्यादातर पीढ़ी–दर–पीढ़ी राहत शिविरों में शरणार्थी जीवन का अभिशाप भोग रहे हैं।

■ **प्रमोद भार्गव**

भारत में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है, जिनके लिए देश तो अपना है लेकिन प्रदेश पराया है। यह जम्मू–कश्मीर राज्य की कड़वी हकीकत है। इस विसंगति को दूर करने की सुध आजादी के 68 साल बाद एक संसदीय समिति ने ली है। समिति ने सिफारिश की है कि इन्हें देश की नागरिकता देने के साथ, वे सब लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं जिनका अधिकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक है। देखना है कि देश की शीर्षस्थ विधायी संस्था संसद क्या रुख अपनाती है, क्योंकि इस सिफारिश की भनक लगते ही पाकपरस्त कश्मीरी अलगाववादियों ने विभाजन के जहर बुझे बोल बोलने शुरू कर दिए हैं। उनके समर्थन में नेशनल कांफ्रेंस समेत अन्य क्षेत्रीय दल भी आगे आ गए हैं। इस सिफारिश को ये दल घाटी का मुस्लिम चरित्र बदलने की साजिश करार देते हुए स्थानीय जनता को बरगलाने की कोशिश में लग गए हैं।

वास्तव में घाटी के बहुसंख्यक मुस्लिमों को छोड़कर शेष धर्म व जाति समूह ऐसी हताशा का शिकार हैं, जो देश के नागरिक होने के बावजूद अलगाववादी कानूनी व्यवस्था के कारण खुद को अलग–थलग महसूस करते हैं। आतंकी दहशत इस निराशा को और गहराने का काम करती है। बंटवारे के समय सांप्रदायिक दंगों के चलते अपना सब कुछ गंवाकर हजारों हिंदू परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर घाटी के सीमांत इलाकों और जम्मू क्षेत्र में आ बसे। इनमें ज्यादातर पीढ़ी–दर–पीढ़ी राहत शिविरों में शरणार्थी जीवन का अभिशाप भोग रहे हैं। इन परिवारों की युवा होती तीसरी पीढ़ी भी अब तक संविधान–सम्मत लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित है। इनमें कश्मीरी डोगरा, अनुसूचित जाति के हिंदू, लद्दाखी बौद्ध, सिख और अन्य दलित व पिछड़ी जाति के लोग हैं। इनकी विडंबना यह है कि इनके पास भारत की नागरिकता तो है, लेकिन जम्मू–कश्मीर की नागरिकता नहीं है। इसकी वजह विवादित धारा–370 है जिसके तहत जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है। इस लिहाज से इस धारा पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में बहस की गुंजाइश बनती है।

आम चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 370 पर बहस की वकालत की थी। इन लोगों को सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक हक दिए जाने का मुद्दा भाजपा के प्रदेश एजेंडे में भी शामिल था। अब संसदीय समिति ने इनके व्यापक नागरिक अधिकारों से जुड़ी सिफारिशों को आगे बढ़ाया है। कश्मीर घाटी में इंसानियत की सूरत कितनी बदहाल है और मानवाधिकारों के हनन का पैमाना कितना व्यापक, यह इन शरणार्थियों के हालात की पड़ताल करके जाना जा सकता है। क्योंकि इन शरणार्थियों का ताल्लुक महाराजा हरिसिंह के तत्कालीन राज्य से नहीं था, इसलिए इन्हें जम्मू–कश्मीर राज्य की नागरिकता आज तक नहीं मिल पाई है।

आम चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 370 पर बहस की वकालत की थी। इन लोगों को सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक हक दिए जाने का मुद्दा भाजपा के प्रदेश एजेंडे में भी शामिल था। अब संसदीय समिति ने इनके व्यापक नागरिक अधिकारों से जुड़ी सिफारिशों को आगे बढ़ाया है। कश्मीर घाटी में इंसानियत की सूरत कितनी बदहाल है और मानवाधिकारों के हनन का पैमाना कितना व्यापक, यह इन शरणार्थियों के हालात की पड़ताल करके जाना जा सकता है। क्योंकि इन शरणार्थियों का ताल्लुक महाराजा हरिसिंह के तत्कालीन राज्य से नहीं था, इसलिए इन्हें जम्मू–कश्मीर राज्य की नागरिकता आज तक नहीं मिल पाई है।

दरअसल धारा–370 के प्रावधानों के चलते इस राज्य के स्थाई निवासियों को ही नागरिक अधिकार देने की व्यवस्था है। इन्हें कानून की भाषा में 'स्टेट सब्जेक्ट' कहा जाता है। इसके दायरे में आने वाले

लोग यहां जमीन–जायदाद का क्रय–विक्रय कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों पर भी उन्हीं का एकाधिकार है। राज्य विषय से इतर लोग देश के नागरिक भले ही हैं, किंतु राज्य के नागरिक नहीं हैं। नतीजतन वे सरकारी योजनाओं से जुड़े हरेक लाभ से वंचित हैं। पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, इन्हें मतदान तक का अधिकार नहीं है। संसदीय चुनाव में जरूर ये लोग मतदान का हक रखते हैं। इनकी संख्या करीब ढाई लाख है। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं। इनके बच्चे दसवीं पास कर भी लेते हैं तो इन्हें आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आखिर देश के नागरिक होने के बावजूद ये लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित क्यों है, यह विचार का विषय है?

हालांकि 1947 में ही ये शरणार्थी भेदभाव की आशंकाओं के चलते पंजाब में बसने को इच्छुक थे, लेकिन तब यहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने इन्हें रोक लिया था। उन्होंने भरोसा दिया था कि इन्हें वे सब नागरिक अधिकार मिलेंगे, जो अन्य नागरिकों को मिलेंगे। इस वचन पर शेख अब्दुल्ला ने तो अपने जीते जी कोई अमल नहीं किया किंतु उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और फिर उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि दोनों को लंबे समय तक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। 'स्टेट सब्जेक्ट' के बहाने इनके वाजिब हकों को पिछले 68 साल से टाला जा रहा है। केंद्र सरकारों ने भी इन विस्थापितों के पुनर्वास की पहल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की। अब संसदीय समिति की सिफारिशों का खुलासा होने के साथ ही हुर्रियत और नेशनल कांफ्रेंस इसके विरुद्ध मुहिम चलाने की धमकी देने लगे हैं। इस मुद्दे को जम्मू बनाम कश्मीर बना देने की आशंका उपजने लगी है, क्योंकि राज्य की यह विडंबना रही है कि घाटी के नेता यदि जम्मूवासियों के हित में कोई कदम उठाते हैं तो उन्हें घाटी में राजनीतिक हानि होने का अंदेशा घेर लेता है। यदि एक क्षेत्रीय पार्टी इस विषय का समाधान खोजने की कोशिश करती है तो दूसरे क्षेत्रीय दल के नेता

कश्मीरियों को गुमराह करने में लग जाते हैं।

फिलहाल इन विभाजित मानसिकताओं के चलते यह मसला जम्मू और कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों में बंटा रहकर लंबित होता चला आ रहा है। पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन सरकार पर सहमति न बनने पर यही मुद्दा सबसे अहम रोड़ा है, क्योंकि अनुच्छेद–370 पर भाजपा की राय किसी से छिपी नहीं है। इस मुद्दे पर ही पीडीपी का भाजपा के साथ टकराव बना रहा है। इस लिहाज से पीडीपी की यह आशंका निमरूल नहीं है कि यदि राज्य में सरकार बनाने की दृष्टि से वह भाजपा से घाटी के शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों से जुड़ा कोई अप्रिय समझौता करती है तो घाटी के मुस्लिम उससे छिटक सकते हैं। ऐसे में यदि केंद्र सरकार इस मुद्दे को विधेयक के रूप में संसद में पारित करने का दम भरती है तो राज्य के अलगाववादी नेता व राजनीतिक दल सांप्रदायिक खेल, खेल सकते हैं। देश के अन्य राष्ट्रीय दलों को संसदीय समिति की सिफारिशों को बिना विरोध के लागू कराने में सहयोग देने की जरूरत है। कांग्रेस को इस मुद्दे का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के छद्म से उबरने का जो ब्लूप्रिंट उसने सामने रखा है, उसकी व्यावहारिकता इस मुद्दे को समर्थन से साबित होगी। मायावती द्वारा इस मुद्दे का समर्थन करना इसलिए लाजिमी है क्योंकि घाटी के दुर्गम सीमाई इलाकों में नागरिक हकों से महरूम शरणार्थियों में सबसे ज्यादा दलित हैं। तय है, यह अवसर घाटी में बहुलतावादी सांस्कृतिक पुर्नस्थापना का भी है। इसलिए इस मुद्दे को वोट की राजनीति से मुक्त होकर बेखौफ समर्थन देने की जरूरत है। ❑

भारतीय संस्कृति की ओर अपना रूख मोड़ रहे पश्चिमी देश

भारतीय संस्कृति में महिला-पुरूष प्रतिद्वंद्वी नहीं - पूरक है

देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है। जैसे ही कोई घटना होती है सभी संस्थाएं एक साथ सख्त कानून बनाने की मांग करने लगती हैं. . .मगर यह संस्थाएं विज्ञापनों और फिल्मों के खिलाफ कार्यवाही की मांग नहीं करती और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार के सख्त कानून की मांग करती हैं जिसमें महिलाओं को भोग विलासिता की वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है। इसका बच्चों के मस्तिश्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो धीरे धीरे किस हद तक बढ़ता जाता है इस पर कोई शोध नहीं होता।

■ **मनोज 'भारत'**

भारत में जहां महिला के अपमान को लेकर महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ और जहां स्त्री व पुरूश को एक दूसरे का पूरक मानकर अर्द्धनारीश्वर के रूप में जिसकी पूजा की जाती है। आज उसी देश में दिन प्रतिदिन बलात्कार, छेड़छाड़ व महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं जो देश की सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों की ओर ईशारा करता है। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे इन अपराधों पर नियंत्रण करने के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को अग्रणी मानते हुए वहां की महिलाओं की स्थिति के इतिहास व वर्तमान की जानकारी लिए बिना कुछ विचारक भारतीय समाज को पश्चिमी संस्कृति की ओर धकेलने में लगे हैं।

कुछ पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित विचारकों का मानना है कि पश्चिमी समाज महिला और पुरूशों को एक समान मानता है जबकि भारत एक पुरूश प्रधान देश रहा है। उनके इस विचार से असहमति जताते हुए मैं बताना चाहूँगा कि भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरूशों के समान अधिकार प्राप्त थे जिसके प्रमाण

इतिहास में देखने को मिलते हैं। भारत के ग्रंथों में महिलाओं को पुरूशों के समान ही नहीं बल्कि उनसे श्रेश्ठ दर्शाया गया है। हमारे ग्रंथों में महिलाओं का नाम पुरूश के नाम से पहले आता है जैसे सीता राम, राधे कृश्ण, लक्ष्मी नारायण और गोरी शंकर आदि। विवाह के सम्बन्द्ध में भी महिलाओं को अपना वर चुनने के अधिकार की जानकारी इतिहास में कई स्थानों पर मिलती है जिसमें अर्जुन व श्रीराम का विवाह सबकों स्मरणीय होगा। भारतीय सभ्यता में महिलाओं को पुजनीय माना गया है और लक्ष्मी, सरस्वती, वैश्णों, पार्वती व दुर्गा आदि रूपों में उनकी पूजा भी की जाती है।

पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित विचारक उन देशों के समाज में हो रहे नुक्सान की ओर ध्यान नहीं दे रहे जो अधिकारों के नाम पर वहां के समाज में खुलेपन के कारण हुआ है और आगे हो रहा है। भारत के एक राश्ट्रीय समाचार पत्र में छपे एक समाचार के अनुसार यूरोप में बच्चों

भारत सरकार ने जहां फिल्मों व टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले शराब व सिगरेट के दृश्यों का दिमाग पर पड़ने वाले गलत प्रभावों को स्वीकार करते हुए वैधानिक चेतावनी देने के निर्देश जारी कर रखे हैं। वहीं फिल्मों व टीवी चैलनों के कार्यक्रमों में दिखाए जाने वाले कामुख दृश्यों को समाज तक पहुंचने दिया जाता है। कम्पनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए टीवी पर विज्ञापन देती हैं जिसमें कामुख दृश्यों की भरमार होती है जिसका उस उत्पाद से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

में बढ़ रही सैक्स की प्रवृति पर नियंत्रण करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं जिसके तहत ब्रिटेन के एक स्कूल में तो बच्चों को कंडोम व बच्चियों को गर्भनिरोधक गोलियां तक उपलब्ध करवाया जा रहा हैं ताकि बच्चियों को अवांछित गर्भधारण से बचाया जा सके। पश्चिमी देशों ने बच्चों की सैक्स की ओर बढ़ रही इस प्रवृति से निपटने के लिए भारतीय संस्कृति की ओर अपना रूख मोड़ दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देश पिछले काफी सालों से भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहे हैं।

कपड़ों का मानसिकता पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए ब्रिटेन के 63 स्कूलों ने पिछले साल स्कर्ट के बजाय ढीली पतलून को बड़ी सख्ती के साथ लागू किया है। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ट्रेवर जोंस के अनुसार बच्चों में सैक्स के प्रति ज्यादा रूझान को कम करने के मकसद से यह फैसला किया गया है। वहीं चीन की पुलिस ने सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को मिनी स्कर्ट न पहनने की हिदायत दी है। भारत में स्कूलों में स्कर्ट को बड़े जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। मुम्बई की एक कार डीलर कम्पनी ने तो स्कर्ट न पहने वाली अपनी महिला कर्मचारी को इस्तीफा देने तक को कह दिया। भारतीय परिधान हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं।

भारत में टीवी पर दिखाए जाने वाले कई कार्यक्रमों व फिल्मों में भारतीय परिधानों को देहाती परिधान दर्शाया जाता है और पश्चिमी परिधानों को एक सभ्य और पढ़े लिखों का परिधान दर्शाया जाता है। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों व फिल्मों में महिलाओं को भोग की वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रमों में महिला और पुरूश को एक दूसरे का पूरक नहीं एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी दर्शाया जाता है।

भारत सरकार ने जहां फिल्मों व टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले शराब व सिगरेट के दृश्यों का दिमाग पर पड़ने वाले गलत प्रभावों को स्वीकार करते हुए वैधानिक चेतावनी देने के निर्देश जारी कर रखे हैं। वहीं फिल्मों व टीवी चैलनों के कार्यक्रमों में दिखाए जाने वाले कामुख दृश्यों को समाज तक पहुंचने दिया जाता है। कम्पनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए टीवी पर विज्ञापन देती हैं जिसमें कामुख दृश्यों की भरमार होती है जिसका उस उत्पाद से कोई सम्बन्ध नहीं होता। लड़कों के उत्पादों के विज्ञापनों में लड़की को फसाने के तरीके व लड़की के उत्पादों के विज्ञापनों में लड़कों को फसाने के तरीके दिखाए जाते हैं। कई बार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों को अपने असली जीवन में करने का प्रयास करते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस सन्दर्भ में एक समाचार पत्र के अनुसार एक बच्चे ने शक्तिमान बनने के लिए छत से छलांग लगा दी थी।

देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है। जैसे ही कोई घटना होती है सभी संस्थाएं एक साथ सख्त कानून बनाने की मांग करने लगती हैं। मैं भी महिला उत्पीड़न के विरूद्ध सख्त कानून बनाने का पक्षधर हूँ मगर क्या सिर्फ कानून बना देने भर से इस समस्या से निजात मिल सकती है। यह संस्थाएं वहां तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं जहां किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाती है और सरकार से सख्त कानून की मांग करती है। मगर यह संस्थाएं विज्ञापनों और फिल्मों के खिलाफ कार्यवाही की मांग नहीं करती और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार के सख्त कानून की मांग करती हैं जिसमें महिलाओं को भोग विलासिता की वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है। इसका बच्चों के मस्तिश्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो धीरे धीरे किस हद तक बढ़ता जाता है इस पर कोई शोध नहीं होता। महिला उत्थान में लगी सभी संस्थाओं से निवेदन है कि वह सरकार से इस प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा न देने के खिलाफ कानून बनाने की आवाज उठाएं। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हम देश को महिला अधिकारों के नाम पर दो भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि आज हमारा देश जिस मार्ग पर चल रहा है वह स्त्री को अधिकारों के नाम पर पुरूशों का प्रतिद्वंधी बनाने की ओर अग्रसर तो नहीं हो रहा?❑

देश में टीवी पर दिखाए जाने वाले कई कार्यक्रमों व फिल्मों में भारतीय परिधानों को देहाती परिधान दर्शाया जाता है और पश्चिमी परिधानों को एक सभ्य और पढ़े लिखों का परिधान दर्शाया जाता है। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों व फिल्मों में महिलाओं को भोग की वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रमों में महिला और पुरूश को एक दूसरे का पूरक नहीं एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी दर्शाया जाता है।

जरूरत है जल चेतना जगाने की

आज देश में जल संस्कृति को वापस लाने की जरूरत है। इस हेतु देश के सभी संतों, महंतों, मठों को जल साक्षरता के लिए 'पानी में प्राण हैं' के अध्यात्म दर्शन द्वारा एक नई चेतना जगाने के जरूरत है। हमारा आज का अध्यात्म पुराने ज्ञान और विज्ञान के साथ गहरा रिश्ता रखता है। हमने नीर नारी और नदी इन तीनों को पूर्ण सम्मान दिया था और इनका रक्षण संरक्षण संवर्द्धन सतत् किया था। जब तक हमने यह किया तब तक हम दुनिया के गुरू बने रहें।

■ राजेन्द्र सिंह

आज जल संस्कृति से विमुक्त होते नौजवानों के पीछे प्रमुख कारण आधुनिक शिक्षा में प्रकृति के प्रति प्रेम और परिश्रम का कम होना है। इस कारण प्रकृति के साथ पानी के लेने और देने के हमारे जो रिश्ते थे, वो भी टूट गए हैं। पहले गर्मी के दिनों में पूरा गांव पानी से पहले ताल बांधने का काम करता था। आजकल वह परंपरा छूट गई है। अब लोग पानी की बोतल खरीदकर पीना चाहते हैं। पानी का यह नया बाजार हमें निजीकरण के मोह में फंसा लिया है।

पहले बचपन में दादी–दादी, नाना–नानी सब अपने बच्चों को सिखाते थे कि तुम्हारे जीवन के लिए पानी निश्चित है। वे सिखाते थे कि अपने जीवन में पानी उतना ही इस्तेमाल करना जिससे बर्बाद न हो। इस चाल–चलन के कारण पानी के प्रति सम्मान था। लिहाजा पानी के स्रोत ताल तलैयों के प्रति भी लोगों का सम्मान था। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक विवाह आदि तक सभी संस्कार ताल–पोखर के पास हुआ करते थे। ये संस्कार पानी के प्रति युवाओं के मन में सम्मान पैदा करते थे और पानी के सदुपयोग का चलन आ जाता था। जिससे पानी के कम उपयोग की आदत इनके मन में होती थी। साथ ही साथ ताल–तलैयों को गंदा न करने का संस्कार भी विकसित होता था। उसी के साथ पानी के सदुपयोग और पुनः उपयोग करने की आदत विकसित होती थी। ये आदत ताल तलैयों को पुनर्जीवित करने का चलन बनाकर रखती थी।

युवाओं की बेरुखी के कारण आज हमारे ताल–तलैये मर गए हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक में यदि हमने अपनी जल स्रोतों की इस विरासत को पुनर्जीवित नहीं किया तो हम आने वालें दिनों में बेपानी हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में लाचारी, बेकारी और बीमारी आ जाएगी। इसलिए हमें अपने ताल तलैयों को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज से ही हम अपने संस्कार और व्यवहार में और अपनी शिक्षा में ताल तलैयों के उपयोग को बढ़ावा दें।

आज देश में जल संस्कृति को वापस लाने की जरूरत है। इस हेतु देश के सभी संतों, महंतों, मठों को जल साक्षरता के लिए 'पानी में प्राण हैं' के अध्यात्म दर्शन द्वारा एक नई चेतना जगाने के जरूरत है। हमारा आज का अध्यात्म पुराने ज्ञान और विज्ञान के साथ गहरा रिश्ता रखता है। हमने नीर नारी और नदी इन तीनों को पूर्ण सम्मान दिया था और इनका रक्षण संरक्षण संवर्द्धन सतत् किया था। जब तक हमने यह किया तब तक हम दुनिया के गुरू बने रहें। हमें अब फिर वही करना होगा। हमें जन्म देने वाली धरती माता उसमें जीवन की शुरुआत करने वाले जल और वायु पर अब बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने की चेतना जगाने की दक्षता और क्षमता हमारी शिक्षा में नहीं है। इसीलिए भारतीय ज्ञानतंत्र और हमारी गुरू परंपरा दुबारा से पानी से प्राण डाल सकती है। इसलिए हमें एक बार फिर अपने नीर, नारी और प्रकृति और नदी (जीवन का प्रवाह) को सम्मान देने की शुरुआत करनी होगी।

राजस्थान के समाज ने अपनी सात नदियों को पुनर्जीवित करके यह करिश्मा कर दिखाया है। मैंने पिछले माह गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में इसी काम को फैलाने के लिए श्री गेरे मठ चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक से ऐसी ही शुरुआत की है। इसमें हम युवाओं को विद्यालयों में जाकर तथा ग्रामीणों को गांव–गांव जाकर तालाबों को नदियों के साथ जोड़ने के लिए पदयात्रा, वाहन यात्रा और जल साक्षरता यात्रा शुरू की है। आज इस तरह की चेतना देश भर में खड़ी करने की जरूरत है। इसलिए हमने गणतंत्र दिवस से अगले गणतंत्र दिवस के बीच पूरे भारत में जल सुरक्षा हेतु जल साक्षरता अभियान शुरू किया है। इसी प्रकार भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में नीर, नारी और नदी के शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दें तो पुनरू तरुणों और युवा में ताल तलैयों के प्रति प्रेम बढ़ेगा और राष्ट्र में एक जल चेतना खड़ी होगी। ❑

अगले साल चीन के बराबर होगी विकास दर

पिछले साल मई में भारत में सत्ता में आई नई सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों को देखते हुए अब विश्व बैंक भी कहा रहा है कि भारत 2016–17 में चीन की विकास दर के समान विकास दर हासिल कर लेगा। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक बसु के अनुसार, भारत वर्ष 2016 और 2017 में चीन के विकास के समकक्ष पहुंच जाएगा।' साथ ही विश्व बैंक ने वर्ष 2016 और 2017 के लिए भारत की विकास दर सात–सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ❑

नियंत्रण संपत्ति का बड़ा हिस्सा ईसाइयों के पास

न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रपट के अनुसार आज विश्व भर में सबसे अधिक संपत्ति ईसाइयों के पास है। दूसरे स्थान पर मुसलमानों और फिर हिन्दुओं के पास है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन व्यक्तियों के पास है जो किसी धर्म को नहीं मानते या फिर अन्य धर्म में विश्वास रखते हैं। रपट में कहा गया कि ईसाइयों के पास कुल 1,07,280 अरब डालर संपत्ति है जो नियंत्रण संपत्ति के हिसाब से 55 प्रतिशत से अधिक है। मुसलमानों के पास 11,336 अरब डालर (5.8 प्रतिशत) की संपत्ति है जबकि हिंदुओं के पास 6,505 अरब डालर (3.3 प्रतिशत) की संपत्ति है। इसके अतिरिक्त यहूदी धर्म मानने वाले अरबपतियों की कुल परिसंपत्ति 2,079 अरब डालर (1.1 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त रपट में बताया है कि कि विश्व के 10 सबसे अमीर देशों में से सात देशों में ईसाइयों का दबदबा है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस और आस्ट्रेलिया शामिल है। इनमें चीन, जापान और भारत शामिल नहीं हैं। विश्व भर में लोगों के पास कुल व्यक्तिगत संपत्ति 1,95,000 अरब डालर है जिसमें से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के पास 66,000 अरब डालर की संपत्ति है। ❑

आम चुनावों में दलों ने खर्च किए करोड़ों रुपए

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने इन चुनावों पर जहां 7,14,28,57,813 रुपये खर्च किये वहीं कांग्रेस का व्यय 5,16,02,36,785 रुपये रहा। इन दोनों पार्टियों ने हाल ही में चुनाव आयोग को अपने खर्च की जानकारी दी। जबकि इन्हें यह जानकारी अगस्त 2014 तक दे देनी चाहिए थी। भाजपा ने जनवरी माह और कांग्रेस ने बीते दिसम्बर माह को यह जानकारी दी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव में दोनों राष्ट्रीय दलों का व्यय राकांपा और बसपा जैसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों से काफी ज्यादा रहा। राकांपा का खर्च 51 करोड़ रुपये तो बसपा का 30 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। ❑

विदेशी मुद्रा भंडार 322 अरब डालर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते 16 जनवरी के दौरान 2.66 अरब डालर बढ़कर 322.135 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा गया है। जबकि जनवरी माह से पहले विदेशी मुद्रा भंडार 236.4 अरब डालर की बढ़ोतरी के साथ 319.47 अरब डालर था। इससे पहले दो सितम्बर, 2011 को विदेशी मुद्रा भंडार 320.79 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कुल मुद्रा भंडार का प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां समीक्षाधीन सप्ताह में 2.68 अरब डालर की बढ़ोतरी के साथ 297.53 अरब डालर रहा और देश का स्वर्ण भंडार 19.37 अरब डालर पर स्थिर रहा है। ❑

भारत में बिक रहे हैं जापान से दोगुने स्मार्टफोन

प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में स्मार्टफोन को लेकर लोगों में दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 की अंतिम तिमाही (अक्तूबर–दिसंबर) में भारत में 2.2 करोड़ स्मार्टफोन का आयात किया गया। स्मार्टफोन के बाजार में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान भारत में पहली बार 8 करोड़ स्मार्टफोन फोन का आयात किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मुकाबले भारत में वर्ष 2014 के दौरान दोगुना स्मार्टफोन का आयात किया गया। ❑

वेतन के हिसाब से आईटी क्षेत्र है सबसे आकर्षक

एक निजी कंपनी द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में वेतन की बात की जाए तो आईटी क्षेत्र आज सबसे आगे है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को 341.8 रपए प्रति घंटे, निर्माण क्षेत्र में 259 रुपए प्रति घंटे, शिक्षा क्षेत्र में 186.5 रुपए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 215 रुपए, विधि क्षेत्र में 215.6 रुपए व विनिर्माण तथा परिवहन क्षेत्र में 230.9 रपए प्रति घंटे का वेतन मिलता है। सर्वे में कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को सबसे कम 186.5 रुपए प्रति घंटे का वेतन मिलता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या अधिक है। ❑

भारतीय रईस बच रहे हैं स्विस बैंक से

स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा काला धन जमा करने वाले संदिग्ध भारतीयों की जांच में भारत सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताए जाने के बाद अब भारतीय अमीर लोगों का स्विस बैंकों के प्रति आकर्षण घट रहा है। बीते माह विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सालाना सम्मेलन में स्विस बैंकों को भारतीयों की ओर से कारोबार के ज्यादा प्रस्ताव नहीं मिल सके। स्विस बैंक यहां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुख्ता गोपनीयता की जगह अपनी शानदार बैंकिंग सेवाओं पर जोर दे रहे थे पर भारतीय उद्योगपति इससे अधिक प्रभावित नहीं दिखे।

स्विस बैंकों की गोपनीयता की दीवार हटाने के लिए नियंत्रण स्तर पर बढ़ते दबाव और स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों पर कानूनी कार्रवाई करने के भारत सरकार के निरंतर प्रयास के द्वारा भारतीय रईसों स्विस बैंक में खाते खोलने से बच रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार अब स्विट्जरलैंड सरकार अपने यहां जमा भारतीयों के अघोषित धन की जांच में सहयोग को तैयार दिखती है। ❑

फिर से शुरू किए रिलायंस ने अपने पेट्रोल पंप

डीजल कीमतों को नियंत्रणमुक्त किए जाने से उत्साहित रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बंद पेट्रोल पंपों को फिर खोलना शुरू कर दिया है। रिलायंस कंपनी अब अपने 1400 बंद पेट्रोल पंपों में से 20 प्रतिशत शुरू कर दिए हैं। बाकी बचे पेट्रोल पम्पों को भी वह एक साल के भीतर चालू करेगी। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भारी सब्सिडी वाला ईंधन बेचे जाने की वजह से निजी क्षेत्र की कंपनी को अपने पेट्रोल पम्प बंद करना पड़ा था। देश में निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एस्सार आयल लिमिटेड भी शामिल है। वर्ष 2006 तक इन कंपनियों ने डीजल के 17 प्रतिशत व पेट्रोल के 10 प्रतिशत घरेलू खुदरा बाजार पर कब्जा कर लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2008 के मार्च माह में भारी नुकसान को देखते हुए अपने 1,432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। इसके बाद सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया था। उसके बाद एस्सार खुदरा क्षेत्र में फिर उतर गई थी। ❑

निरंतर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से आम आदमी खुश

वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट ने विश्व की कई शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। दूसरी तरफ यही गिरावट भारत के लिए वरदान साबित होती जा रही है। कच्चे तेल के दाम घटने से घरेलू बाजार में पेट्रोल–डीजल के दाम में जोरदार गिरावट आई। परिणामस्वरूप आम आदमी को कई मोर्चो पर भारी राहत मिल रही है। अमरीका अभी मंदी की विदाई से उभरा ही था वही उसके यहां शेल गैस कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संकट में फंसने की खबरें आने लग लगाई हैं। रूस भी अब अपने बजट को हाथ में लेकर दुनिया के सामने मिमियाता नजर आ रहा है। दूसरी ओर इराक, ईरान, सऊदी अरब समेत तमाम ओपेक देश भी बढ़ते वित्तीय घाटे से परेशान हैं। आज इन आर्थिक शक्तियों की अर्थव्यवस्था हिलाने लगी है इसका एकमात्र कारण बीते छह महीने से कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 20 जून, 2014 को 107 डालर प्रति बैरल पर थी और अब 50 डालर से भी नीचे आ गयी है। कई देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट सिरदर्द बन चुकी है वहीं भारत में सरकार से लेकर आम आदमी के लिए राहत पहुँचा रही है। ❑

उद्योगों क्षेत्र में नहीं हुआ बदलाव

उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि देश के ज्यादातर उद्योगपतियों ने माना है कि कि बीते छह महीने में देश में जमीनी स्तर पर 'कुछ ज्यादा बदलाव नहीं' आया है। साथ ही अधिकांश उद्योगपतियों ने यह भी माना है कि मौजूदा तिमाही के दौरान भी उनकी निवेश योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। 'द बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स सर्वे' शीर्षक यह सर्वे रपट मई 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के गठन के बाद कारोबारी माहौल में सुधार की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों में महीने भर के उत्साह के बाद किया गया है। सर्वे रपट के हवाले से एसोचैम ने कहा, 'बीते छह महीने में उद्योगों के लिहाज से जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है।' सर्वे यह भी कहा गया है कि 2015 की पहली छमाही में ही हालात में सुधार होने वाला है क्योंकि कंपनियों ने इस छमाही में बिक्री तथा नियुक्तियों में सुधार को लेकर उम्मीद जताई है। ❑

बजट में वेतनभोगियों, मध्य वर्ग को मिल सकती है राहत

वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए जाने वाले आगामी बजट में वेतनभोगियों और मध्य वर्ग को आय कर में राहत की सौगात मिल सकती है। अनुमान है कि 80 सी के तहत निवेश की सीमा को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया जा सकता है, वहीं सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश पर आय कर में छूट देने की परिपाटी फिर से शुरू कर सकती है। अनुमान है कि सरकार वेतनभोगी और मध्य वर्ग को आय कर में राहत देने के रास्ते तलाश रही है। दरअसल सरकार का मानना है कि यदि वेतनभोगी के पास कुछ पैसे बचते हैं तो उसका उपयोग अपनी उन आवश्यकताओं को पूरी करने में करेगा, जो कि कर के भार की वजह से नहीं कर पाते। ❑

1% अमीरों के पास 99 % गरीबों जितनी दौलत

दुनिया में अमीरों–गरीबों की खाई कम होने की बजाए लगातार बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास इतना पैसा है जितना बाकी 99 प्रतिशत लोगों के पास है। यह बात एक सामाजिक संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2016 तक यह आंकड़ा भी पार हो जाएगा और उन एक प्रतिशत लोगों के पास 99 प्रतिशत लोगों से भी अधिक धन हो जाएगा। ❑

फोन उपभोक्ताओं की संख्या 97 करोड़ हुई

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में फोन उपभोक्ताओं की संख्या दिसंबर 2014 के अंत तक 97.09 करोड़ हो गई, जो नवंबर, 2014 में 96.42 करोड़ थी। इससे पहले जून, 2012 में फोन उपभोक्ताओं का आंकड़ा 96.55 करोड़ के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। इस दौरान देश में फोन घनत्व 77.58 पर पहुंच गया। ❑

सब्सिडी हस्तांतरण में दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनी 'पहल'

रसोई गैस की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित करने की योजना 'पहल' दुनिया भर में नकद हस्तांतरण वाली सबसे बड़ी योजना बन गई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए कहा है कि इससे रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और सब्सिडी जरूरतमंद को ही मिलेगी। देश में सब्सिडी वाली रसोई गैस के ग्राहकों की कुल संख्या 15.34 करोड़ है। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की गैस ग्राहक संख्या बैंक खाते से जुड़ चुकी है। योजना 15 नवंबर 2014 को 54 जिले से शुरू की गई थी जिसे एक जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ❑

यूरोपीय संघ ने भारतीय आम से प्रतिबंध हटाया

यूरोपीय संघ ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया है। यह फैसला भारत द्वारा पौध स्वास्थ्य नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण प्रणाली में सुधार करने के बाद आया है। यूरोपीय आयोग समिति ने प्रतिबंध को उठाने के लिए मतदान भी करवाया। इस कानून को अब औपचारिक रूप से अपनाने की और यूरोपीय आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है। इन सब में करीब एक महीने तक का समय लगेगा। लेकिन समिति के सकारात्मक मतदान ने भारतीय निर्यातकों और ब्रिटेन के आयातकों को आगामी आम के सीजन के लिए एक सुनिश्चित स्थिति प्रदान की है। ❑

वसूली का कारोबार नहीं - देश सेवा!

देश की सेवा करना देश पर अहसान नहीं होता। देश सेवा कोई वसूली का कारोबार नहीं है। अंग्रेजों ने रायबहादुर और खानबहादुरों की फौज खड़ी की थी और हमारी सरकारें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री की रेवड़ियां बाँट रही है। किसान अन्न पैदा करता है तो भारत रत्न का पेट भरता है लेकिन एक किसान को किसान होने के लिए कोई सम्मान नहीं मिलता। उसे खुदकुशी करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

■ **अक्षय जैन**

जो लोग इतिहास की अनदेखी करने में माहिर हैं, उन्हें एक छोटी–सी घटना की याद दिलाना जरूरी है। कांग्रेस सरकार ने जब तिहत्तर वर्ष के सर्वदियी नेता सिद्धराज ढड्डा को पद्मभूषण से नवाजा था, लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। सिदद्धराज ढड्डा का कहना था कि वे एक ऐसी सरकार से सम्मान नहीं ले सकते जो देश को विदेशी पूँजी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बेचने का काम कर रही है।

अभी हाल ही में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया है। पं. मदनमोहन मालवीय जिन आदर्शों के लिए जिए वह इतिहास में दर्ज है। इतिहास में यह भी दर्ज है कि मालवीय जी स्वदेशी के घोर समर्थक थे। वे आज जीवित होते तो क्या मौजूदा सरकार से भारत रत्न स्वीकार करते? मरने के बाद आदमी के पास विकल्प नहीं बचता। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब तथाकथित बड़े–बड़े पुरस्कार ठुकराए गए हैं। विरोध की एक छोटी–सी आवाज भी सत्ता के अहंकार को चूर–चूर कर सकती है।

पंडित मदनमोहन मालवीय के साथ अटलबिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। इन दिनों विभूतियों को एक ही पायदान पर नहीं परखा जा सकता है। अटलबिहारी वाजपेयी का राजनैतिक जीवन बेहद विवादास्पद रहा है। यह मानने में तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि भारत का गौरव भारत के लिए कुर्बानी देने में है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में है। भारत से गरीबी समाप्त करने में है। ऐसी कोई उपलब्धि तो अटलबिहारी वाजपेयी के खाते में नहीं है।

तेरह दिनों की अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने एनरॉन को काउण्टर गारंटी देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यह मिसाल शर्मनाक भी है और ऐतिहासिक इसलिए कि स्वदेशी, स्वाभिमान और स्वावलंबन का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को उजागर करती है।

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र गुहा ने मदनमोहन मालवीय को भारत रत्न देने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मालवीय जी से ज्यादा ऊँचे कद के लोग देश में मौजूद हैं। लोकमान्य तिलक, रवीन्द्रनाथ टैगौर इत्यादि। रामचन्द्र गुहा तब कहां थे, जब सचिन तेन्दुलकर को भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेन्दुलकर के खाते में दो ही उपलब्धियां हैं। एक तो उन्होंने क्रिकेट खेला और दूसरा उन्होंने विदेशी कपंनियों के सामानों को बेचने का काम किया। इन दोनों कामों से उन्होंने करोड़ों रुपए बटोरे। भारत रत्न बनने के बाद आज भी सचिन तेन्दुलकर मल्टीनेशनल कंपनियों के इश्तहारबाजी में मशरूफ हैं। भारत रत्न वाटर प्यूरी फायर और पंखें बेच रहा है। कोक और पेप्सी के पास उनसे ज्यादा बिकाऊ माल है। देशभक्ति का तकाजा है कि रामचन्द्र गुहा, सचिन तेन्दुलकर से भारत रत्न वापस लेने की आवाज उठाते।

एक तरफ पाखंड का चकाचौंध करने वाला टीआरपी का नजारा है तो दूसरे छोर पर ऐसे दृश्य भी हैं जो आपको ताजी हवा के झोके का एहसास करा सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ईमानदारी से काम करने में यकीन रखते है। मेधा पाटकर ने अपनी जवानी जन–आंदोलनों में यूँ ही नहीं खपा दी! आजादी बचाओ आन्दोलन के संस्थापक डॉ. बनवारीलाल शर्मा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष में पूरी जिन्दगी दे दी। पानी के क्षेत्र में अनुपम मिश्र और राजेन्द्र सिंह का योगदान हो या सुनीता नारायण द्वारा कोक और पेप्सी को धीमा जहर साबित करने की सफल कोशिश – ऐसी मिसाले हैं जो बेमिसाल हैं। दशरथ माझी का नाम तो एक किम्वंदती बन चुका है। एक अनपढ़ और गाँव के आदमी के अकेले पहाड़ को खोदकर अस्सी मील का रास्ता बनाया और दो गाँवों को जोड़ दिया। ये वे लोग हैं जो सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और यह चाहत भी नहीं रखते कि उन्हें कोई सम्मान या पुरस्कार मिले।

देश की सेवा करना देश पर अहसान नहीं होता। देश सेवा कोई वसूली का कारोबार नहीं है। अंग्रेजों ने रायबहादुर और खानबहादुरों की फौज खड़ी की थी और हमारी सरकारें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री की रेवड़ियां बाँट रही है। किसान अन्न पैदा करता है तो भारत रत्न का पेट भरता है लेकिन एक किसान को किसान होने के लिए कोई सम्मान नहीं मिलता। उसे खुदकुशी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ❑

स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही है लूट-खसोट

बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का पता लगाने के लिए या डायग्नोस करने के लिए जो विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं, उनके संदर्भ में हमारे देश में यह बेहद विकृत व्यवस्था व्यापक स्तर पर पनप रही है कि डॉक्टर जो टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, ऐसे मेडिकल टेस्ट के हिसाब से उन्हें निश्चित कमीशन टेस्ट करने वाली प्रयोगशाला या लैब द्वारा दिया जाता है। यह सरासर बेईमानी है।

■ भारत डोगरा

हाल ही में इस बारे में बहुत चिंता पैदा करने वाली जानकारी उपलब्ध हुई। आज कितनी बड़ी संख्या में मरीजों को बिना वजह ही सर्जरी के लिए कहा जाता है। यह जानकारी मुंबई स्थित मेडिएंजल्स के एक सर्वेक्षण से मिली है। इस केंद्र में 20,000 मरीजों की जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अध्ययन के आधार पर चौंका देने वाले परिणाम मिले हैं। इस अध्ययन से पता चला कि 20,000 में से 12,500 मरीजों को सर्जरी की सलाह पहली जांच के बाद मिली थी। इनमें से 44 प्रतिशत मरीजों को वास्तव में सर्जरी की जरूरत नहीं थी। हृदय रोगियों में यह प्रतिशत 55 पाया गया और कैंसर रोगियों में 47 पाया गया। यूटरस निकालने के 48 प्रतिशत ऑपरेशन ऐसे पाए गए जो जरूरी नहीं थे। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि जिन लोगों का इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा था उनमें से 45 प्रतिशत ऐसे थे जिन्हें इस इलाज की जरूरत ही नहीं थी।

देखा जाए यह गहरी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सर्जरी बिना पर्याप्त वजह की जा रही है। यह किसी भी समाज के लिए अनुचित है पर भारत जैसे देश में जहां जनसाधारण प्रायः कर्ज लेकर या आर्थिक संकट झेलकर सर्जरी करवाते हैं वहां तो यह प्रवृत्ति और भी दुख–दर्द बढ़ाने वाली है। लाखों ऐसे लोग हैं जो दवा या अन्य अपेक्षाकृत सरल इलाज से ठीक हो सकते हैं। उन्हें केवल इस कारण सर्जरी के लिए कहा जाता है कि किसी को मुनाफा कमाने का अवसर मिले। इससे पहले देश के कुछ भागों जैसे आंध्र प्रदेश में ऐसे मामले

सामने आए थे जिनमें डॉक्टरों ने बिना वजह कई महिलाओं के यूटरस या बच्चेदानी निकाल दी थी। ऐसे ऑपरेशन तब किए जाते हैं जब किसी स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए यह जरूरी माना जाए। हाल के मेडिएंजल्स सर्वेक्षण में भी पता चला कि ऐसे 48 प्रतिशत ऑपरेशन बिना जरूरत के किए जाते हैं। इसके बाद महिलाओं को जो सहना पड़ता है उसकी भी चिंता नहीं की जाती है। एक ओर महिला भविष्य में गर्भ धारण नहीं कर सकती है। दूसरी ओर उसे ऐसे ऑपरेशन के कारण कई हॉरमोन संबंधी समस्याएं डोलनी पड़ सकती हैं।

इससे जुड़ी हुई एक अन्य प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि सामान्य जन्म के स्थान पर सिजेरियन को तरह–तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है या इसकी संभावना बढ़ाई जा रही है क्योंकि इसके लिए अधिक बिल बनता है। अमेरिका और ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना के आधार पर न्यू इंटरनेशलिस्ट पत्रिका ने कुछ समय पहले बताया कि जहां सर्जन मात्र वेतन प्राप्त कर रहे थे वहां सामान्य जन्म का प्रतिशत कहीं अधिक पाया गया जबकि जहां प्रति जन्म पेमेंट होता है और सिजेरियन की दर अधिक है वहां सिजेरियन का प्रतिशत कहीं अधिक पाया जाता है।

बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का पता लगाने के लिए या डायग्नोस करने के लिए जो विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं, उनके संदर्भ में हमारे देश में यह बेहद विकृत व्यवस्था व्यापक स्तर पर पनप रही है कि डॉक्टर जो टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, ऐसे मेडिकल टेस्ट के हिसाब से उन्हें निश्चित कमीशन टेस्ट करने वाली प्रयोगशाला या लैब द्वारा दिया जाता है। यह सरासर बेईमानी है। इस व्यवस्था में स्पष्ट है कि जरूरत से अधिक टेस्ट लिखने पर, अधिक महंगे और अनावश्यक टेस्ट लिखने पर डॉक्टर को अधिक कमीशन मिलता है। यह एक बड़ी वजह है कि क्यों बड़ी संख्या में अनावश्यक महंगे टेस्ट करवाए जा रहे हैं।

दवा उद्योग की स्थिति भी ऐसी है कि मुनाफे की प्रवृत्ति हावी होने के कारण बहुत से लोग महंगी दवाओं से वंचित होते हैं, जबकि दूसरी ओर कई अनावश्यक दवाएं मरीजों को गलत ढंग से बेच दी जाती हैं। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 325 आवश्यक दवाओं की सूची तैयार की थी (जिसमें 30 कंबीनेशन थीं), वहां भारत में 20,000 दवाएं या फारमुलेशन उपलब्ध हैं जिनमें कई तरह के कंबीनेशन शामिल हैं। जब इतनी अधिक दवाएं हों तो उनका उचित नियमन कैसे हो सकता है? आज स्थिति यह हो गई है कि ऐसी तमाम दवाएं मरीजों को धड़ल्ले से दी जा रही हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं और खतरनाक भी हो सकती हैं।

उचित स्थिति तो यह है कि रोगी को जो समस्या है, ठीक उसी की दवा दी जाए। पर इस समय स्थिति यह है कि यदि रोगी को सही दवा दी भी जाती है तो प्रायः बहुत महंगे ब्रांड की दी जाती हैं जिससे उसकी कीमत उचित न्यायसंगत कीमत से कई गुणा बढ़ जाती है। एक ही गुण की दवा कई ब्रांड रूप में बाजार में उपलब्ध हैं।

विडंबना यह है कि सस्ते रूप को छोड़कर प्रायः डॉक्टर अधिक महंगी वाली दवा को पर्ची में लिखते हैं जिससे अनेक मरीज उस दवा से वंचित हो जाते हैं या उन्हें इसके लिए कर्ज ग्रस्त होना पड़ता है। सबसे सस्ती दवा जेनेरिक रूप में उपलब्ध होती है जो प्रायः नहीं लिखी जाती है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगी दवा लिखने के लिए कई प्रलोभन देती हैं। आज कंबीनेशन के बहाने या अन्य तौर–तरीकों से मरीजों से दवा के कई गुणा दाम वसूले जा रहे हैं। दवा की कीमत का उसे बनाने के खर्च से कोई रिश्ता नहीं रहा गया है। मनमानी कीमत वसूली जा रही है।

दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगी दवा लिखने के लिए कई प्रलोभन देती हैं। आज कंबीनेशन के बहाने या अन्य तौर–तरीकों से मरीजों से दवा के कई गुणा दाम वसूले जा रहे हैं। दवा की कीमत का उसे बनाने के खर्च से कोई रिश्ता नहीं रहा गया है। मनमानी कीमत वसूली जा रही है।

एक विश्व स्तर पर चर्चित उदाहरण वर्ष 2001 में सामने आया जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एचआईवी एड्स की दवा 15,000 डॉलर प्रति वर्ष प्रति मरीज की कीमत पर बेचने से अनेक देशों विशेषकर अफ्रीका के देशों में अनेक मरीज ऐसी दर्दनाक मौत की ओर जा रहे थे जिसे बचना संभव था। इस संकट की स्थिति में भारतीय कंपनी सिपला ने 350 डॉलर में देने का प्रस्ताव दिया, यानी बाजार की कीमत से तीन प्रतिशत से भी कम कीमत पर दवा देने का प्रस्ताव किया। इस तरह जो सस्ती दवा उपलब्ध हुई, उससे हजारों लोगों का जीवन बच सका। इस अपेक्षाकृत बेहद सस्ती दवा में भी कंपनी ने मुनाफा जरूर कमाया होगा। पर बहुराष्ट्रीय कंपनी इस संतोषजनक मार्जिन वाली कीमत से भी 25 गुणा अधिक कीमत वसूलने की जिद कर रही थीं और इस जिद के कारण हजारों मरीजों की मृत्यु हो रही थी।

सिपला कंपनी के अध्यक्ष ने हाल में कहा है कि उनकी कंपनी सस्ती दवा का निर्यात कर जीवन बचा सकी क्योंकि उस समय भारत के पेटेंट कानून इसके अनुकूल थे। भारत में उस समय 1970 का जो पेटेंट कानून लगा था, उसके अंतर्गत उत्पादन पेटेंट नहीं था। इस कारण वे नई अच्छी दवाएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवा सकते थे। पर इस समय यह संभव नहीं है। क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करने के साथ ही भारत ने नया पेटेंट कानून बनाना स्वीकार किया जिससे दवा कंपनियों के लिए बहुत सी नई दवाएं सस्ती उपलब्ध करवाना संभव नहीं रहा, फिर चाहे इसकी मरीजों को कितनी भी जरूरत क्यों न हो।

इस तरह विश्व स्तर पर अनैतिक मुनाफे की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के स्थान पर उसे बढ़ाया जा रहा है। यह एक बड़ी वजह है जिसके कारण विश्व में अधिसंख्य लोग स्वास्थ्य में सुधार से अवसरों से वंचित हो रहे हैं। अत्यधिक मुनाफे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य व दवा क्षेत्र का न्यायसंगत, पारदर्शी नियमन होना बहुत जरूरी है। ❑

रपट

देशी गाय घर लाओ, बीमारियों को दूर भगाओ

अगर हमें अपना जीवन सुखी व स्वस्थ बनाना है तो हमें अपने पुराने खान–पान व उनके तरीकों को अपनाना होगा : मनोज भारत

स्वदेशी जागरण मंच की सिरसा शाखा द्वारा जिला के गांव जोथड़ में देशी गोपालक व जैविक उत्पादक सम्मान सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में गौपालन करने वालों तथा जैविक खेती करने वालों को सम्मानित किया गया।

स्वदेशी जागरण मंच की सिरसा शाखा द्वारा देशी गोपालकों व जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत मंच द्वारा गांवों में जाकर देशी गायों को पालने वालों व जैविक खेती करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है।

इस सभा में गांव के 18 लोगों को सम्मानित किया गया जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। इस सभा को सम्बोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक मनोज भारत ने कहा कि आज हमारा समाज विभिन्न तरह के असाध्य रोगों का शिकार होता जा रहा है जिसका कारण पिछले कुछ दशकों में हमारा खान–पान और उनके तरीकों में आए बदलाव हैं।

उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना जीवन सुखी व स्वस्थ बनाना है तो हमें अपने पुराने खान–पान व उनके तरीकों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमारा समाज स्वावलम्बी होने की बजाए बड़ी–बड़ी कम्पनियों पर आश्रित होता जा रहा है जिसके एक उदाहरण के रूप में किसानों को देखा जा सकता है जो आज खेती के लिए बड़ी कम्पनियों के डीएपी व यूरिया पर आश्रित हैं।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को किसी कम्पनी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। इसके साथ ही जैविक खेती करने वाले किसान खुद भी डीएपी व यूरिया के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों से बचे रहते हैं और समाज भी स्वस्थ रहता है। देशी गाय के दूध के गुणों के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देशी गाय का दूध हमें बहुत बीमारियों से बचाता है।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंच द्वारा आने वाले समय में गोबर व गोमूत्र से उत्पाद बनाने व पंचगव्य चिकित्सा का प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

सिरसा के सामान्य अस्पताल के योग प्रशिक्षक सोहन लाल ने देशी गाय के दूध का हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत जानकारी गांववासियों को दी। उन्होंने कहा कि देशी गाय के दूध के साथ साथ उसके शरीर को सहलाने से भी हमारे शरीर की बहुत बीमारियां समाप्त होती हैं।

सभा में पंतजलि योग समिति की महिला जिला प्रभारी इंद्रावती व जिला प्रभारी वीरेंद्र नागपाल ने योग के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से बीमारियों से दूर रहने के लिए योग के नजदीक आने का आह्वान किया। नागपाल ने कहा कि किसान घण्टों लाईन में लगकर डीएपी व यूरिया पैसे देकर प्राप्त करते हैं जबकि देशी गाय के गोबर व गोमूत्र का प्रयोग उनसे स्थान पर किया जा सकता है जिससे समय के साथ साथ किसानों का धन भी बचेगा। इस अवसर पर हवा सिंह पूनियां, आशीश, रविंद्र, लक्ष्मीनारायण, राकेश, विनोद व जोगिंदर सहित आस पास के कई गांवों से गोपालक उपस्थित थे। ❑